शब्द विचार

शब्द : किसी सार्थक वर्ण या वर्णसमूह को शब्द कहा जाता है । जैसे - हाँ, मौसम, कोमलांगिनी, पर्वत, एकांत, दौड़ना, लाल, तेज, प्रक्रिया, साहित्य, व्याकरण, विज्ञान, मूर्ख, नादान आदि ।

शब्द भाषा के दूसरे महत्त्वपूर्ण घटक होते हैं । ये ही कारक चिह्न से युक्त होकर 'पद' की संज्ञा पाते हैं ।

भाषा में शब्दों की भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होती है । स्रोत, स्वरूप तथा प्रयोग-प्रक्रिया की दृष्टि से इसके अनेक भेदोपभेद किए जाते हैं ।

शब्द-भेद

हिंदी में मुख्यत: चार प्रकार से शब्दों के वर्गीकरण की परंपरा रही है -

1. उत्पत्ति की दृष्टि से
   (क) तत्सम (ख) तद्‌भव (ग) देशज (घ) विदेशज
2. रचना या बनावट की दृष्टि से
   (क) रूढ़ (ख) यौगिक (ग) योगरूढ़
3. अर्थ की दृष्टि से
   (क) वाचक (ख) लक्षक (ग) व्यंजक
4. रूपांतर की दृष्टि से
   (क) विकारी (ख) अविकारी

1. उत्पत्ति की दृष्टि से

(क) तत्सम : तत्+सम । हिंदी के शब्दों का प्रमुखतम स्रोत संस्कृत भाषा है । संस्कृत के हजारों शब्द अपने मूलरूप में या किंचित् रूपांतरित होकर हिंदी में प्रचलित हैं ।

जो शब्द मूल रूप में ही संस्कृत से हिंदी में चले आए हैं वे तत्सम शब्द कहे जाते हैं । जैसे - संस्कृत, अन्न, अलंकार, अध्यापक, आज्ञा, ईश्वर, सूर्य, बुद्धि, भाषा, मनुष्य, कवि, वृक्ष आदि ।

(ख) तद्‌भव : तत् + भव (उससे उत्पन्न) यानी मूल वह है; उस मूल से यह हुआ है । वे परिवर्तित रूप वाले शब्द जिनका मूल तत्सम है । जैसे - रात, आग, हाथी, सौ, सिर, सीस, साँझ, थन, हाथ, मोती, सोना, तांबा, सुहाग, साँवर, गोर आदि ।

(ग) देशज : हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका मूल संस्कृत या किसी अन्य भाषा में नहीं मिलता । ये स्थानीय बोलियों से हिंदी में आए हैं । जैसे - खोभाड़, टोला, मेहरारू, बबुआ, कौड़ी, खलिहान, बथान, बघार, नाधा, पैना, चौकी, बाधी, भुनगा, बरंठा, भतुआ, गमछी, दोहर, लेदरा, लकठो आदि ।

(घ) विदेशज : हिंदी ने अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रेंच, अरबी, फारसी, तुर्की आदि अनेक विदेशी भाषाओं से सैकड़ों शब्द लिए हैं ।

विदेशी भाषाओं से आए ऐसे अनेक शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रचलित हैं तो अनेक के रूपों में भरपूर परिवर्तन भी आ चुका है । जैसे - टाई, डॉक्टर, कूकर (अंग्रेजी), अरमान, आराम, कबूतर (फारसी), कायदा, कसरत (अरबी), कालीन, चमचा, चाकू, उर्दू (तुर्की) आदि ।

2. रचना या बनावट की दृष्टि से

(क) रूढ़ : रूढ़ वे शब्द होते हैं जो एक ही मूल से बने होते हैं और उनका कोई खंड होना संभव नहीं होता । कुत्ता, गाड़ी, ग्राम, शिर, पैर, देह, पेट आदि इसके उदाहरण हैं ।

(ख) यौगिक : इन शब्दों में दो मूल शब्दों का मेल होता है । यौगिक शब्दों के खंड भी सार्थक होते हैं। विद्यालय एक यौगिक शब्द है जिसका एक अर्थ है, परंतु इसके अलग-अलग दोनों मूल शब्दों (विद्या और आलय) के भी अपने-अपने अर्थ हैं । नृत्यशाला, प्रभाकर, मयखाना, पीकदानी आदि यौगिक शब्द हैं । यदि एक खंड भी सार्थक हो तो उसे यौगिक शब्द कहा जाएगा । जैसे - मानवता, दानवता, बचपन इत्यादि ।

(ग) योगरूढ़ : वे यौगिक शब्द होते हैं जो सामान्य से अलग एक विशेष अर्थ देते हैं । जैसे - जलज, लंबोदर, पंकज आदि । 'जल + ज' का अर्थ है जल से (में) उत्पन्न; पर इससे केवल कमल का अर्थ लिया जाएगा । अत: जलज योगरूढ़ है ।

3. अर्थ की दृष्टि से

अर्थ की दृष्टि से शब्द के तीनों भेदों **वाचक, लक्षक** तथा **व्यंजक** का भाषा में उल्लेखनीय महत्त्व होता है, परंतु हिंदी व्याकरण में इनके विवेचन की परंपरा नहीं है । ये काव्यशास्त्र के विषय बन गए हैं। काव्यशास्त्र में शब्दशक्ति नाम का एक स्वतंत्र प्रकरण है, जिसके अंतर्गत इनका विवेचन होता है ।

वाचक शब्द परंपरा से प्रचलित अर्थ देते हैं, जैसे - ऊँट, हाथी, पहाड़, समुद्र, राक्षस आदि ।

लक्षक शब्दों का पारंपरिक अर्थ बाधित होता है परंतु उससे मिलता-जुलता अर्थ निकल आता है । जैसे - किसी लंबे आदमी को ऊँट, मोटे और ऊँचे आदमी को हाथी, विशाल व्यक्तित्व वाले को पहाड़ और गंभीर ज्ञानवाले को समुद्र कहा जाए तो ये शब्द लक्षक कहे जाएँगे ।

व्यंजक शब्द सर्वथा नया अर्थ ध्वनित कर जाते हैं । किसी झूठ बोलनेवाले को कोई हरिश्चंद्र जी कहता है तो वहाँ यह शब्द व्यंजक की भूमिका प्राप्त कर लेता है ।

4. रूपांतर की दृष्टि से

रूपांतर की दृष्टि से लिंग, वचन, कारक आदि के कारण शब्दों के रूप में अंतर आता है । देखें -

"पटना एक बड़ा शहर है । यहाँ के सबसे बड़े मैदान का नाम गाँधी मैदान है । यहाँ की बड़ी-बड़ी इमारतों और चौड़ी सड़कों को देख अधिकांश ग्रामीण भी चाहते हैं कि मैं पटना में ही रहूँ । चौड़ी-सीधी सड़कों पर तेज दौड़ती गाड़ियाँ आश्चर्य में डाल देती हैं । गाड़ियों की गिनती तो सर्वथा असंभव लगती है ।"

बड़ा-बड़ी-बड़े, गाड़ियाँ-गाड़ियों आदि में शब्दों का रूपांतर ध्यान आकर्षित करता है ।

इस दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं - (क) विकारी (ख) अविकारी (अव्यय) ।

संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये विकारी शब्द हैं । क्रियाविशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक शब्द अविकारी (अव्यय) कहे जाते हैं ।

''राम ने आप से पूछा है कि लाल रंगवाली पुस्तक वे दे गए थे या नहीं । उन्होंने यह भी जानना चाहा है कि मैं यदि पढ़ना चाहूँ और वह पुस्तक आपके पास हो तो आप दे सकते हैं या नहीं ।''

राम, पुस्तक	–	संज्ञा
आप, वे, उन्होंने, मैं	–	सर्वनाम
लाल रंगवाली	–	विशेषण
पूछा, दे गए, चाहा, चाहूँ	–	क्रिया
दे सकते, जानना, पढ़ना	–	क्रियाविशेषण
हैं, थे, है	–	सहायक क्रिया
और, तो, यदि, कि, या	–	समुच्चयबोधक अव्यय (योजक)
ने, से, के	–	विभक्ति
भी	–	निपात
नहीं	–	अव्यय

इस तरह शब्द-भेद की पहचान करने का अभ्यास कर लेना चाहिए ।

शब्द संरचना

क्रियात्मक शब्दों का मूल धातुएँ होती हैं । वर्ण धातु के रूप में अर्थवत्ता प्राप्त करना प्रारंभ करते हैं और प्रत्ययों के योग से पूर्ण सार्थक शब्द का रूप धारण करते हैं ।

चलना, पढ़ना, करना, आना, जाना, देना, लेना आदि क्रियात्मक सार्थक शब्दों का निर्माण क्रमशः चल्, पढ् (पठ), कर (कृ), आ, जा, ले धातुओं से हुआ है ।

कर – करना, करता, करती, किया, किये, की आदि सार्थक रूप बनते हैं ।

आ – आना, आता, आती, आया, आए, आई आदि

जा – जाना, जाता, जाती, जाए, गया, गए, गई (आदि संस्कृत धातु गम से सीधे विकसित हैं)

ले – लेना, लाना, लाया, लाई, लिए, लिया आदि ।

इन धातुओं में जो ना, ता, ती आदि प्रत्यय लगे हैं उन्हें कृत् प्रत्यय कहा जाता है और इनके योग से बने शब्द 'कृदंत' कहे जाते हैं ।

कृत् प्रत्यय लगाकर बनाए गए शब्द संज्ञा या विशेषण भी बनते हैं । जैसे – चढ़ाई, पढ़ाई । संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित कहे जाते हैं । लड़का संज्ञा में पन प्रत्यय लगकर लड़कपन शब्द (भाववाचक संज्ञा) बनता है । मोटा विशेषण में पा प्रत्यय लगता है तो मोटापा (भाववाचक संज्ञा) बनता है ।

इस तरह वर्ण से बनते हैं शब्द । कृदंत शब्दों में वर्ण – धातु – क्रिया – संज्ञा – विशेषण आदि का क्रम हो जाता है ।

कृ – कर – करना – करनेवाला – कराई – कार्रवाई – कार्य – करता – करती – करते – उपकार– अपकार – दुष्कर – सुकर – कर्म – कर्मशील – कर्मशीलता – आदि शब्दों की एक लंबी शृंखला 'कृ' धातु से बनती है ।

तद्धित प्रत्यय भी मूल शब्द को अनेक रूप प्रदान करते हैं । मूल शब्द में विभिन्न प्रत्ययों के योग

से भारतीय, भारतीयता, भारत का, भारतवाला, भारतवाली आदि अनेक रूप बनते हैं ।

उपसर्ग

उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो धातु, संज्ञा या विशेषण के पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में बदलाव ला देते हैं । उपसर्गों का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता । ये जिस धातु या शब्द के साथ होते हैं उसके अर्थ को प्रभावित कर देते हैं ।

अनु का अपना कोई निश्चित अर्थ नहीं है । अनुज, अनुलोम, अनुसार, अनुमान, अनुभाव, अनुरूप, अनुग्रह, अनुसंधान, अनुशासन आदि में इसके विभिन्न अर्थ निकलते हैं । अनु का जो अर्थ अनुज में है वही अनुरूप में नहीं है ।

हिंदी भाषा में हिंदी और संस्कृत के अलावा अरबी, फारसी आदि अनेक विदेशी भाषाओं के भी उपसर्ग प्रचलित हैं ।

हिंदी में प्रचलित उपसर्गों का एक विवरण यहाँ प्रस्तुत है –

उपसर्ग (हिंदी और संस्कृत)

1. अ – अपढ़, अकारण, अथाह, अबेर, अलग, अचेत आदि ।
2. अति – अत्यधिक, अत्यावश्यक, अत्यंत, अतिशय, अतिक्रमण, अत्युक्ति आदि ।
3. अधि – अधिनायक, अधिकार, अध्यक्ष, अधिनियम, अधीक्षक आदि ।
4. अन – अनबन, अनावश्यक, अनपढ़, अनमोल, अनदेखी, अनसुना आदि ।
5. उन – उनतीस, उनचालीस, उनचास, उनसठ, उनहत्तर, उन्नासी आदि ।
6. औ – औगुण, औढर, औचक आदि ।
7. कु – कुरूप, कुराह, कुढंग, कुअन्न, कुकर्म आदि ।
8. दु – दुमुँहा, दुधारी, दुबला आदि ।
9. बिन – बिनब्याहा, बिनब्याही, बिनदेखा आदि ।
10. नि – निडर, निहत्था, निगोड़ा आदि ।
11. भर – भरपूर, भरसक, भरमार आदि ।
12. स – सपूत, सजग, सचेत आदि ।
13. सु – सुदिन, सुराज, सुलक्षण, सुरूप आदि ।
14. अति – अतिशय, अत्युक्ति, अतिरिक्त, अत्यावश्यक, अतिक्रमण आदि ।
15. अनु – अनुभूति, अनुचर, अनुज, अनुवाद, अनुमान, अनुरूप आदि ।
16. अप – अपयश, अपमान, अपशकुन, अपशब्द, अपराध, अपकर्म आदि ।
17. अभि – अभिमान, अभिप्राय, अभिलेख, अभिलाषा, अभिवृद्धि आदि ।
18. अव – अवगुण, अवसान, अवनत, अवांतर, अवहेलना आदि ।
19. आ – आजन्म, आगत्, आगमन, आसेतुहिमाचल, आपादमस्तक आदि ।
20. उत् – उत्पन्न, उत्थान, उत्पात, उल्लेख, उद्भव, उन्नति आदि ।
21. उप – उपाध्यक्ष, उपकार, उपदेश, उपस्थित, उपायुक्त आदि ।
22. कु – कुकर्म, कुचेष्टा, कुमार्ग, कुयोग, कुदृष्टि, कुपात्र आदि ।

23. दुः – दुर्लभ, दुर्जन, दुर्दशा, दुर्बुद्धि, दुर्गुण, दुराचार आदि ।
24. निः – निर्बल, नीरोग, निरभिमानी आदि ।
25. परा – पराजय, पराभूत, पराक्रम, परावर्तन आदि ।
26. परि – परिणाम, परिस्थिति, परिक्रमा, परिहार, परिचय, परिपूर्ण, परिवर्तन आदि ।
27. प्र – प्रमाण, प्रभूत, प्रगति, प्रमुख, प्रवर, प्राचार्य आदि ।
28. प्रति – प्रतिकूल, प्रतिध्वनि, प्रत्यक्ष, प्रतिनिधि, प्रतिरूप आदि ।
29. वि – विशिष्ट, विद्रूप, विज्ञान, विशेष, विपक्ष, विदेश, विकार आदि ।
30. सम् – सम्पादन, सम्पूर्ण, सम्मान, संन्यासी, संप्रदान, संप्रभुता आदि ।
31. सु – सुकर्म, सुलभ, स्वागत, सुयश, सुकृत, सुयश, सूक्ति आदि ।

विदेशी भाषाओं के उपसर्ग

1. अल – अलगरजी, अलविदा आदि ।
2. ऐन – ऐनवक्त, ऐनमौका आदि ।
3. कम – कमजोर, कमअक्ल, कमफहम आदि ।
4. खुश – खुशबू, खुशकिस्मत, खुशहाल, खुशखबरी आदि ।
5. दर – दरअसल, दरहकीकत, दरकार, दरमियान आदि ।
6. ना – नासमझ, नाकाम, नालायक, नाचीज़ आदि ।
7. गैर – गैरहाजिर, गैरसरकारी, गैरकानूनी आदि ।
8. ब – बदौलत, बनाम, बतौर, बदस्तूर आदि ।
9. बा – बाअदब, बाकलम, बाइज्जत आदि ।
10. बे – बेजुबान, बेखबर, बेधड़क, बेरोक, बेचारा आदि ।
11. बद – बदमगजी, बदमाश, बदमिजाज, बदहजमी, बदनीयती आदि ।
12. बर – बरकरार, बरदाश्त, बरखास्त आदि ।
13. बिला – बिलाशक, बिलाशर्त, बिलाहुक्म आदि ।
14. ला – लापता, लावारिस, लाचार, लापरवाह आदि ।
15. सर – सरकार, सरपंच, सरहद, सरपरस्त आदि ।
16. हम – हमउम्र, हमराज, हमदर्द, हमसफर आदि ।
17. हर – हरदिल, हररोज, हरवक्त, हरदम आदि ।

सबइंस्पेक्टर, सबजज, अनलोड, अनआफिसियल, ननगारंटेड आदि प्रयोगों में सब, अन, नन आदि कुछ अंग्रेजी उपसर्ग प्रयोग में देखे जाते हैं ।

उपसर्ग स्वभाषा स्रोत के शब्दों के ही पूर्व लगते हैं । ये चाहे जिस भाषा के हों, अविकारी होते हैं । उपसर्ग विपरीतार्थक शब्द निर्माण में सहायक होते हैं ।

प्रत्यय

धातु या मूल शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहा

जाता है । लड़ाई, लड़ैत, लड़ाकू, मित्रता, बड़प्पन, बुढ़ापा, बचपन, बचैया, शहरी, देहाती आदि प्रत्ययुक्त शब्द हैं ।

इन शब्दों में आई ऐत, आकू, ता, पन, पा, वैया, ई आदि प्रत्यय लगकर अलग-अलग अर्थ का आधार बने हैं ।

लड़ाई और लड़ैत में लड़ धातु सामान्य है परंतु आई और ऐत प्रत्ययों से युक्त होने के बाद लड़ाई और लड़ैत शब्दों के अर्थ में कोई समानता नहीं रह जाती ।

प्रत्यय के चार भेद होते हैं-

(क) कृत् (ख) तद्धित (ग) स्त्री प्रत्यय (घ) विभक्ति (चरम प्रत्यय)

(क) कृत् : कृत् प्रत्यय धातु या क्रिया के अंत में जुड़ते है और कृत् प्रत्यययुक्त शब्दों को कृदंत कहा जाता है । लिखाई, खेवैया आदि कृत् प्रत्ययांत यानी कृदंत शब्द के उदाहरण हैं ।

(ख) तद्धित : संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगनेवाले प्रत्ययों को तद्धित कहा जाता है । मित्रता, देवत्व, पशुता, लड़कपन, शिवत्व, दाशरथी, कौन्तेय, लालिमा, पांडव, मासिक, दैनिक आदि तद्धितांत शब्द हैं । ता, त्व, पन, इ, एय, इमा, अव प्रत्ययों से इन शब्दों की रचना हुई है ।

(ग) स्त्री प्रत्यय : वैसे प्रत्यय जिनके योग से शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं । जैसे - इनी, इन, आनी, आइन, ई आदि ।

ठाकुर + आइन = ठकुराइन, हाथी + इनी = हथिनी, कुँजड़ा + इन = कुँजड़िन, देवर + आनी = देवरानी, मोर + नी = मोरनी ।

(घ) विभक्ति : कारक की विभक्तियाँ भी प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त होती हैं । जैसे - राम की गाय, पढ़ने वाले की कलम, मोटापे की दवा, देवत्व का प्रभाव, कागजात की देखभाल ।

यहाँ राम की गाय में 'की' विभक्ति राम संज्ञा के बाद है ।

पढ़ धातु में ना के साथ ही वाला प्रत्यय और उसके बाद 'की' विभक्ति भी प्रत्यय है ।

मोटापे की दवा, देवत्व का प्रभाव और कागजात की देखभाल में विभक्ति प्रत्यय 'का' और 'की' है। हम देख रहे हैं कि विभक्ति के बाद किसी अन्य प्रत्यय का आना-लगना संभव नहीं होता । इसलिए विभक्ति को चरम प्रत्यय तथा परसर्ग भी कहा जाता है ।

कृदंत (कृत् प्रत्यय)

कृत् प्रत्ययों से निम्नलिखित प्रकार के शब्द बनते हैं -

(क) भाववाचक संज्ञा (ख) कर्तृवाचक संज्ञा (ग) कर्मवाचक संज्ञा (घ) करणवाचक संज्ञा (ङ) विशेषण (कर्तृवाचक और क्रियाद्योतक)

(क) भाववाचक संज्ञा

	धातु	कृत् प्रत्यय	भाववाचक संज्ञा
1.	विद् (सं०)	अना	वेदना
2.	वंद (सं०)	अना	वंदना
3.	गम (सं०)	न	गमन

4. पढ़ (हि०)	आई	पढ़ाई
5. चढ़ (हि०)	आई	चढ़ाई

(ख) कर्तृवाचक संज्ञा

कर्तृवाचक संज्ञाएँ भी अ, अक्, अन्, इन, इ, उ, उक्, उर, इष्णु आदि कृत् प्रत्ययों से बनती हैं । जैसे – 'चुर्' धातु में अ प्रत्यय लगाने पर संज्ञा चोर (कर्तृवाचक संज्ञा) का निर्माण हुआ । इसी तरह पौ+अक= पावक, युज् + अक = योजक, पच + अक = पाचक, वद् + इन = वादी, त्यज् + इन (इ) = त्यागी, साध् + उ = साधु, भिक्ष् + उक् = भिक्षुक ।

(ग) कर्मवाचक संज्ञा

खाना ही सबकुछ नहीं है । मुझे एक ओढ़ना खरीदना है । बिछावन सिरहाने रखा हुआ था ।

इन वाक्यों में खाना, ओढ़ना, बिछावन आदि कर्मवाचक कृत् प्रत्ययांत शब्द हैं । खाना, ओढ़ना, बिछावन में खा, ओढ्, बिछ धातुएँ हैं और इनमें क्रमशः ना, अना, आवन कृत् प्रत्यय लगे हैं ।

(घ) करणवाचक संज्ञा

कृत् प्रत्ययों के योग से करणवाचक संज्ञाएँ भी बनती हैं । ये वे संज्ञाएँ होती हैं जो क्रिया का कारण (करणकारक) होती हैं । बेलन, झाड़न, रेती, मथानी, झूला, पलटा, खंती आदि इसके उदाहरण हैं । देखें –

धातु	प्रत्यय	करणवाचक संज्ञा
बेल	अन	बेलन
झाड़	अन	झाड़न
रेती	ई	रेती
मथ	आनी	मथानी
झुल	आ	झूला

(ङ) विशेषण (कर्तृवाचक)

इन्हें कृदंतीय विशेषण कहा जाता है । क्रिया में कृत् प्रत्ययों को जोड़कर कृदंतीय विशेषणों का निर्माण होता है । ये दो तरह के होते हैं – कर्तृवाचक और क्रियाद्योतक ।

1. कर्तृवाचक कृदंतीय विशेषण : खाना, लड़ना, पढ़ना, उठना, तैरना, जड़ना, चलना, लूटना आदि क्रियाओं के अंत से 'ना' को हटा देने पर खा, लड़, पढ़ आदि बच जाते हैं और फिर इन धातुओं में आऊ, ऐत, आकू आदि कृत् प्रत्यय जोड़ने पर खाऊ, लड़ैत, पढ़ाकू आदि कर्तृवाचक कृदंतीय विशेषण बनते हैं। देखें –

खाना – खा + आऊ = खाऊ	तैरना – तैर + आक = तैराक
लड़ना – लड़ + ऐत = लड़ैत	जड़ना – जड़ + इया = जड़िया
पढ़ना – पढ़ + आकू = पढ़ाकू	उड़ना – उड़ + अंतू = उड़ंतू
चलना – चल + आलू = चालू	लूटना – लूट + एरा = लुटेरा

ये कर्तृवाचक कृदंतीय विशेषण कर्ता का ही नहीं, क्रिया में भी अभ्यस्त और रत होने का बोध कराते हैं ।

2. क्रियाद्योतक कृदंतीय विशेषण : नाम से ही स्पष्ट है कि ये क्रियात्मकता का द्योतक होते हैं। ये दो तरह के होते हैं – (i) वर्तमानकालिक (ii) भूतकालिक ।

ता, ती, ते कृत् प्रत्ययों से वर्तमानकालिक क्रियाद्योतक कृदंतीय विशेषण बनते हैं और आ प्रत्यय से भूतकालिक ।

(i) वर्तमानकालिक क्रियाद्योतक कृदंतीय विशेषण

<u>मरता</u> क्या न करता ।

<u>रमता</u> जोगी बहता पानी ।

<u>बहता</u> पानी निर्मला ।

<u>रोती</u> लड़की चुप हो गई ।

<u>भागता</u> चोर खाई में गिर पड़ा ।

(ii) भूतकालिक क्रियाद्योतक कृदंतीय विशेषण

<u>गया</u> आये न आये, क्या ठिकाना ! (गया हुआ)

<u>पढ़ा</u> किसी की बात मानता है ? (पढ़ा हुआ)

<u>जीते</u> को जश्न मनाने से कौन रोक सकता है ? (जीते हुए को)

<u>जीता</u> तो जश्न मनाएगा ही । (जीता हुआ)

जाना – जा (ग) + आ = गया

पढ़ना – पढ़ + आ = पढ़ा

जीतना – जीत + ए = जीते

जीतना – जीत + आ = जीता

तद्धित प्रत्यय

आपको ज्ञात हो चुका है कि संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है । तद्धित प्रत्ययों के स्रोत हिंदी के अलावा संस्कृत और अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाएँ भी हैं । जैसे – वीरता, पशुत्व, पांडित्य, पुस्तकीय, मौलिक आदि शब्दों में ता, त्व, य, ईय, इक आदि संस्कृत मूल के प्रत्यय लगे हैं ।

पंडिताई, खेती, घरवैया, बुढ़ापा, बचपन, ससुराल, मौसेरा आदि शब्दों में आई, ई, वैया, पा, पन, आल, एरा आदि हिंदी प्रत्यय देखे जा सकते हैं ।

इसी तरह पेशकार, मेजबान, गुलाब, नेकी, मकानात आदि तद्धितांत शब्दों में कार, बान, आब, ई, आत विदेशी मूल के तद्धित प्रत्यय लगे हुए हैं ।

गाड़ीवान, कागजात, रोजाना, दिलावर, शर्मनाक, कत्लगाह, जिस्मानी, कैफियत, उम्मीदवार आदि शब्दों में वान, आत, आना, वर, नाक, गाह आनी, इयत, आर आदि विदेशज प्रत्यय लगे हैं ।

तद्धित प्रत्ययों का कार्य

तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़ते हैं और जुड़कर भाववाचक संज्ञा, ऊनवाचक संज्ञा, कर्तृवाचक संज्ञा, संबंधवाचक संज्ञा, विशेषण आदि बनाते हैं । कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं –

लड़का (सं.) + पन = लड़कपन (भाववाचक संज्ञा)
खाट (सं.) + ओला = खटोला (ऊनवाचक संज्ञा)
लोटा (सं.) + इया = लुटिया (ऊनवाचक संज्ञा)
साँप (सं.) + एरा = सपेरा (कर्तृवाचक संज्ञा)
लोहा (सं.) + आर = लोहार (कर्तृवाचक संज्ञा)
मौसा (सं.) + एरा = मौसेरा (संबंधवाचक संज्ञा)
फूफा (सं.) + एरा = फुफेरा (संबंधवाचक संज्ञा)
घर (सं) + एलू = घरेलू (विशेषण)
लाल (वि.) + इमा = लालिमा (विशेषण)

स्त्री प्रत्यय

नानी, चाची, पड़ोसन, बकरी, हथिनी, सिंहनी, बाघिन, हिरणी, कबूतरी (कपोती), धोबिन, समधिन, साली आदि अनेक शब्द हैं जो अपने मूल पुल्लिंग रूप में इ, अन, इनी, इन, इयी आदि स्त्री प्रत्ययों के योग से स्त्रीलिंग शब्द बने हैं ।

चरम प्रत्यय (विभक्ति या परसर्ग)

कारक की विभक्तियाँ शब्द का चरम प्रत्यय होती हैं । उनके बाद किसी प्रत्यय का लगना संभव नहीं होता ।

''शिक्षा सचिव विजय कुमार ने शिक्षा में आमूल गुणात्मक परिवर्तन की योजना को कार्यरूप देना प्रारंभ कर दिया था । सुधार के लिए उन्होंने दर्जनों शिक्षाविदों से बातें की थीं । राज्य में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए उन्होंने विद्यालयों के अंदर अनेक सुधार किए थे ।''

प्रस्तुत गद्यांश में कुछ चरम प्रत्ययों (विभक्तियों) के प्रयोगों पर ध्यान दीजिए - 'सुधार के लिए' को विश्लेषित कीजिए -

सुध (मूल शुद्ध) + आर = सुधार

एक प्रत्यय 'आर' पहले से है और इसके बाद चरम प्रत्यय के रूप में चतुर्थी की विभक्ति 'के लिए' का प्रयोग हुआ है । इसके बाद किसी अन्य प्रत्यय का लगना संभव नहीं है इसलिए 'के लिए' चरम प्रत्यय कहा जाता है ।

ने, को, से, के, लिए, से, में, पर, का ये कारकीय विभक्तियाँ चरम प्रत्यय हैं ।

उपसर्ग और प्रत्यय में कुछ प्रमुख अंतर -

1. उपसर्ग शब्द के पूर्व लगता है, प्रत्यय शब्द के बाद लगता है ।
2. उपसर्ग से धातु, संज्ञा या विशेषण के अर्थ प्रायः पूर्णतः बदल जाते हैं, जबकि प्रत्यय से अर्थ पूर्णतः नहीं बदलता ।
3. उपसर्ग का कोई अन्य भेद नहीं होता । प्रत्यय के चार भेद होते हैं - कृदंत, तद्धित, स्त्री प्रत्यय और चरम प्रत्यय (विभक्ति या परसर्ग) ।

शब्द और रूप

शब्द का प्रयोजन और लक्ष्य होता है भाषा में प्रयुक्त होना । इसके लिए उन्हें वाक्य का अंग बनना पड़ता है, वाक्य का अंग बनने के लिए उन्हें विभक्ति से युक्त होना पड़ता है और विभक्ति से युक्त होते ही वे पद कहलाने लगते हैं । विकारी, अविकारी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि शब्द नहीं पद हैं ।

''उस एकांत सफेद शिला पर चाँदनी रात में राधा रात भर गाती रही'' – इस वाक्य में कितने शब्द हैं यह प्रश्न गलत है । प्रश्न होना चाहिए कि कितने पद हैं ।

शब्द जब तक विभक्तिमुक्त रहता है तब तक वह मात्र शब्द होता है । उसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया नहीं कहा जा सकता ।

शब्द विभक्तिधारण के साथ पदत्व प्राप्त कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि विभिन्न रूपों में प्रस्तुत होते हैं । इस क्रम में वे रूपांतरण के भी विभिन्न चरणों से गुजरते हैं । लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि शब्दों के रूपों को प्रभावित करते हैं ।

पद : विभक्ति से युक्त शब्द पद कहलाते हैं । जैसे –

''गणपतिजी ने मोहन सिंह से कहा था कि वे तुरंत बाजार से कुछ पके केले ले आएँ और आचार्यजी को खाने के लिए दे दें परंतु छिः, चार घंटे बीत चुके हैं और अभी तक न उनका कहीं पता है और न केलों का । मैंने मोहन सिंह के विषय में आपको बता दिया था ।''

गणपतिजी, मोहन सिंह, बाजार, केले, आचार्यजी	–	संज्ञा पद
वे, उन, मैं, आप	–	सर्वनाम
पके	–	विशेषण
कुछ	–	प्रविशेषण
कहना, ले आना, खाना, देना, बीतना, बता देना	–	क्रिया
तुरंत	–	क्रिया विशेषण
ने, से, के लिए, को, का, के, में	–	विभक्ति
कि, और	–	समुच्चयबोधक अव्यय
छिः	–	विस्मयादिबोधक अव्यय

इनके अलावा भी इन शब्दों के कर्ता, कर्म, विकारी, अविकारी आदि अनेक रूप हैं । क्रिया ही नहीं, संयुक्त क्रिया भी होती है । जैसे – ले आना, बता देना आदि ।

पद-भेद

रूपांतर की दृष्टि से हिंदी भाषा में प्रयुक्त पदों के दो भेद होते हैं –

(क) विकारी (ख) अविकारी

(क) विकारी : विकारी उन पदों को कहा जाता है जिनके रूप यानी लिंग और वचन में काल, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है । जैसे – लड़की पढ़ती है । लड़कियाँ पढ़ती हैं । लड़कियों को पढ़ने दो । इन तीन वाक्यों में संज्ञा पद लड़की के तीन रूप सामने आए हैं । यानी लड़की संज्ञा पद विकारी है । इसमें विकार (परिवर्तन) संभव होता है ।

(ख) अविकारी : एक क्रियाविशेषण है बहुत या खूब । वाक्य प्रयोग की स्थिति में इसपर किसी काल, कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता । लड़का खूब पढ़ता है, लड़के खूब पढ़ते हैं । लड़कियाँ खूब पढ़ती हैं । लड़का खूब पढ़ता था । लड़का खूब पढ़ेगा । हर अवस्था में 'खूब' क्रियाविशेषण का रूप अपरिवर्तित रहता है । इस तरह किसी भी अवस्था (काल, वचन, पुरुष) में अपरिवर्तित रहने वाले शब्द को अविकारी कहते हैं ।

अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए तथा स्मरण रखना चाहिए कि हिंदी भाषा में प्रयुक्त सारे पद इन दो भागों में आ जाते हैं ।

विकारी पद :

1. संज्ञा
2. सर्वनाम
3. विशेषण
4. क्रिया

अविकारी पद :

1. क्रिया विशेषण
2. समुच्चयबोधक
3. संबंधबोधक
4. विस्मयादिबोधक
5. अवधारक या निपात

1. संज्ञा

किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं । जैसे – गंगा, गिरीश, नीतीश, सोना, गाय, पशु, मेला, तेल, सचाई, कमजोरी, अध्ययन, अध्यापन, आगमन आदि । (इसके अंतर्गत सभी प्राणी, गुण, कर्म आदि आ जाते हैं)

संज्ञा के भेद

आधुनिक अवधारणा के अनुसार संज्ञा के प्राथमिक दो भेद माने जाते हैं - (क) पदार्थवाचक (ख) भाववाचक ।

पदार्थवाचक के दो भेद होते हैं – (क) व्यक्तिवाचक (ख) जातिवाचक ।

जातिवाचक के भी दो भेद हैं - (क) द्रव्यवाचक (ख) समूहवाचक ।

संज्ञा पद के पाँच भेदों - व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक की मान्यता पठन-पाठन की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है । इस तरह संज्ञा के कुल पाँच भेद हो जाते हैं –

(i) व्यक्तिवाचक संज्ञा : व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष का बोध करानेवाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है । व्यक्ति, देश, देव, दानव, प्रदेश, शहर, गाँव, सड़क, जलाशय, नदी, वर्ष, माह, दिन, समुद्र, भाषा, दिशा, संस्था आदि के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहे जाते हैं । जैसे –

विष्णु	गंगा	पारिजात	भारत	अशोक राजपथ	हिंद महासागर
इंद्र	यमुना	अक्षयवट	बिहार	दो हजार आठ	हिंदी
गणेश	हिमालय	कोहिनूर	पटना	फाल्गुन	पूर्व
रावण	मानसरोवर	एशिया	राघवपुर	जनवरी	राष्ट्रभाषा परिषद्

(ii) जातिवाचक संज्ञा : जिन संज्ञा पदों से किसी भी सजीव या निर्जीव की जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं । जैसे –

देवता	झील	देश	सड़क	दानव	वृक्ष	राज्य
वर्ष	नदी	हीरा	शहर	माह	पर्वत	महादेश

(iii) द्रव्यवाचक संज्ञा : जिन संज्ञा पदों से माप या तौल होने वाली वस्तुओं का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है । जैसे – सोना, तेल, लोहा, दाल आदि ।

(iv) समूहवाचक संज्ञा : जिन संज्ञा पदों से प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है । जैसे – झुंड, सेना, मंडली, गुच्छा, सभा, कक्षा आदि ।

(v) भाववाचक संज्ञा : जिन संज्ञा पदों से किसी भाव, गुण, दोष, स्वभाव, कार्य, अवस्था, स्वाद आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं ।

भाव – हर्ष, विषाद, प्रेम, घृणा, घबराहट, प्रसन्नता, प्रेम, क्रोध, करुणा आदि ।
गुण – कर्मठता, प्रत्युत्पन्नमतित्व, सुंदरता, लंबाई आदि ।
दोष – कुरूपता, आलस्य, कमजोरी, अपंगता आदि ।
स्वभाव – सत्यवादिता, क्रोधशीलता, सरलता, दानशीलता आदि ।
कार्य – पढ़ाई, पिटाई, चढ़ाई, अगुआई, नेतृत्व, प्रशासन आदि ।
स्वाद – मिठास, तिक्तता, खटास, कड़वाहट आदि ।
अन्य – कड़ाई, मुलायमियत, चिकनाई, भारीपन, गंभीरता, हल्कापन, अस्थिरता, स्थिरता, रूखापन या रूखड़ापन आदि ।

इन संज्ञापदों के एक दूसरे में रूपांतर भी होते हैं ।

जैसे – "हमें कई सुभाषों की जरूरत है ।" – इस तरह के प्रयोगों में व्यक्तिवाचक का जातिवाचक रूप सामने आता है ।

उपाधियाँ जातिवाचक होती हैं परंतु व्यक्तिविशेष के अर्थ में रूढ़ होकर वे व्यक्तिवाचक बन जाती हैं। जैसे – महात्माजी ने देश को स्वतंत्र कराया । महात्मा का प्रचलित अर्थ साधु होता है पर यहाँ संदर्भ मोहनदास करमचंद गाँधी का है ।

हिंदी साहित्य में गोस्वामीजी (तुलसीदास), सूर (सूरदास), प्रसाद, पंत आदि जातिवाचक पद व्यक्ति विशेषों के लिए रूढ़ हो गए हैं ।

कभी-कभी द्रव्यवाचक संज्ञाएँ भी जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेती हैं । जैसे – इस दुकान में तरह-तरह के तेल मिलते हैं । यहाँ 'तेल' जातिवाचक संज्ञा है । भाववाचक संज्ञाएँ अन्य संज्ञा पदों में विभिन्न प्रत्यय जोड़कर बना ली जाती हैं । हिंदी व्याकरण में यह प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानी जाती

है । जैसे – ''जवानी, मनुष्यता, देवत्व, पशुत्व, मोटापा, मूर्खता, मिठास, पीलापन, लंबाई, मिलन, दिखाई, अपनापा, निजत्व, अहंकार, ममत्व, दूरी, निकटता, शाबाशी आदि ।

उपर्युक्त भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्ययों से हुआ है । प्रत्ययों की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका भाववाचक संज्ञाओं के निर्माण में ही दिखाई पड़ती है ।

संज्ञा के रूपांतर

संज्ञा पद विकारी होते हैं । अर्थात इनके रूपों में विकार (परिवर्तन) आते रहते हैं । इनका रूपांतर लिंग, वचन और कारक के आधार पर होता है ।

लिंग

भाषा में स्त्री या पुरुष, आकृति-प्रकृति का बोध करानेवाले संज्ञा पदों के लक्षणों को लिंग कहा जाता है । नर और नारी दोनों में ऐसे कुछ भेद हैं जिनके आधार पर नर को हम पुल्लिंग संज्ञा पद मानते हैं और नारी को स्त्रीलिंग । लिंग-भेद से कोई संज्ञा पद बाहर नहीं है । सजीव-निर्जीव वस्तु में ही नहीं, भाववाचक संज्ञाओं में भी लिंग भेद वर्तमान है ।

हिंदी में दो लिंगों का विधान है । ये हैं – 1. स्त्रीलिंग 2. पुल्लिंग ।

लिंग के आधार पर संज्ञा के रूपों में परिवर्तन होते रहते हैं । अनेक शब्द अलग-अलग स्वतंत्र रूप से पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं और प्रत्ययों को जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना दिए जाते हैं । जैसे –

पु० से स्त्री० – पुत्र-पुत्री, बेटा-बेटी, साला-साली, गुणवान-गुणवती आदि ।

स्त्री० से पु० – मौसी-मौसा, बहन-बहनोई, फुआ-फूफा, कंठी-कंठा आदि ।

स्वतंत्र अपरिवर्तनीय पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण हैं –

पु० – पुरुष, पेड़, वृक्ष, संसार, स्वर्ग, फल, आकाश, जीव, देश, राष्ट्र आदि ।

स्त्री० – औरत, शाखा, डाली, जड़, दुनिया, मृत्यु, सत्ता, लज्जा, नींद आदि ।

लिंग निर्णय

हिंदी में शब्दों के लिंग निर्धारण मुख्यत: दो तरह से होते हैं –

(क) अर्थाश्रित संज्ञा पदों का लिंग निर्णय : प्रथमत: शब्दों के अर्थ के आधार पर उनके लिंग का निर्धारण हो जाता है । ये निर्धारण सर्वथा स्पष्ट और अविवादास्पद होते हैं ।

1. पुरुष, देवता, पुत्र, पिता, दादा, बाबा, मौसा, फूफा, थोड़ा, राजा, बच्चा आदि के अर्थ पुरुषबोधक हैं इसलिए इनका पुल्लिंग होना निर्विवाद है ।

2. मानवेतर देव आदि और प्राणी से इतर पर्वत आदि को विभिन्न देवों के रूप में मानने की परंपरा रही है इसलिए उनके अर्थ भी पुरुषवाचक के रूप में सिद्ध होते हैं । जैसे – पर्वत, पहाड़, अचल, हिमालय, विष्णु, इंद्र, वृक्ष, वटवृक्ष या बरगद, समुद्र, पवन, पानी, जल, नद आदि ।

3. इसी तरह औरत, देवी, पुत्री, माता, दादी, मौसी, फुआ, घोड़ी, रानी, बच्ची आदि और इन्हीं की तरह लक्ष्मी, इंद्राणी, दुर्गा, सरस्वती, गंगा, नदी आदि का स्त्रीलिंग होना निर्विवाद है ।

4. भाषाओं और नदियों के नाम प्राय: स्त्रीलिंग होते हैं । नदियों में मात्र सिंध, ब्रह्मपुत्र तथा सोन

(शोणभद्र) नद हैं । 'नद' नदी का पुल्लिंग रूप है ।

5. तिथियों और नक्षत्रों के नाम भी प्राय: स्त्रीलिंग होते हैं ।

(ख) रूपाश्रित संज्ञा पदों का लिंग निर्णय

1. जिन संज्ञा पदों के अंत में वान, आव, आवा, वाला, पन, पा प्रत्यय हों वे पुल्लिंग होते हैं । ये प्रत्यय 'वाला' पुल्लिंग भाववाचक संज्ञा के बोधक होते हैं । जैसे – गाड़ीवान, कोचवान, प्रभाव, स्वभाव, पहनावा, अपनापा, अपनापन, रिक्शावाला, दिलवाला आदि ।

2. त्य, त्व, र्य से अंत वाली भाववाचक संज्ञाएँ पुल्लिंग होती हैं। जैसे - नृत्य, सतीत्व, लघुत्व, ममत्व, अपनत्व, कृत्य, कार्य, औदार्य, धैर्य, माधुर्य आदि ।

3. अ, न और ज से अंत वाली संज्ञाएँ पुल्लिंग होती हैं । जैसे – छात्र, घर, द्वार, जहाज, आशीर्वाद, ओठ, कटहल, पालन, दमन, जलज, पंकज, यत्नज आदि ।

ऐसे अकारांत संज्ञा पदों का एक विशेष लक्षण यह होता है कि पुल्लिंग होने पर यदि कर्ता की भूमिका में हैं तो बहुवचन में भी उनका रूप वही होता है । जैसे – घर बनता है । घर बनते हैं । जहाज उड़ रहे हैं । कटहल फले हुए हैं । बादल घिर आए ।

4. आकारांत देशज प्राय: पुल्लिंग होते हैं । जैसे – भाला, दिवाला, पोखरा, पैसा, रुपया, चौका, डाला, थारा, तसला, डब्बा, फावड़ा, आटा, लोटा, जोड़ा, झटका आदि ।

5. हा, हार, हारा, आ, आर, एरा, इला प्रत्ययांत संज्ञाएँ पुल्लिंग होती हैं । जैसे – भुतहा, बनिहार, लकड़हारा, लड़का, सोनार, स्वर्णकार, कर्मकार, लोहार (लुहार), सपेरा, घइला, मैला, जहरीला आदि ।

6. त्र, न, ण, ख, ज, त, य, र्य, म, र्म, थ, र्थ, द, ध ठ आदि अंत्य वर्ण हों या त्व, आय, आर, आश या आरा प्रत्यय हों तो वे शब्द प्राय: पुल्लिंग ही होते हैं । जैसे - चरित्र, इत्र, पत्र, पात्र, दान, पान, थन, नयन, क्षण, कण, प्रण, प्राण, हरण, दुख, शंख, पंख, काज, गज, स्वास्थ्य, सत्य, साहित्य, काव्य, कर्तव्य, कार्य, आर्य, अर्घ्य, संयम, दाम, मुकाम, चाम, ग्राम, धर्म, चर्म, कर्म, पथ, भर्रा, जाद, जलद, शोध, प्रबंध, अपराध, ओठ, काठ, मठ आदि ।

ध्यातव्य है कि 'ज' की भाँति 'द' भी पुल्लिंग प्रत्यय है । इसका अर्थ देनेवाला है । इसका स्त्रीलिंग रूप दा होता है । शुभदा, जलदा आदि । यानी जिसमें 'द' प्रत्यय हो वह पुल्लिंग और जिसमें 'दा' प्रत्यय हो वह स्त्रीलिंग । जलज जैसे संज्ञापदों में 'ज' जन्मा का सूचक है इसलिए जलज, पंकज, अनुज आदि पुल्लिंग है । गिरिजा (पार्वती) स्त्रीलिंग है क्योंकि इसका अर्थ गिरि पर्वत से जन्मी कन्या है। अनुजा ऐसा ही स्त्रीलिंग संज्ञा पद है ।

7. तद्भव पदों का लिंग उनके मूल तत्सम के अनुसार ही होता है । जैसे - अग्नि - अगिन - आग, ग्राम - गाँव, गात्र - गात आदि ।

8. कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके विषय में सर्वसिद्ध तथ्य यह है कि वे पुल्लिंग बहुवचन ही होते हैं। जैसे – आँसू, दर्शन, प्राण, होश, केश, हस्ताक्षर, समाचार, अक्षत आदि ।

9. भीड़, जाति, सेना, टोली, मंडली आदि एकवचन स्त्रीलिंग हैं ।

10. संतान, पुत्र-पुत्री दोनों अर्थों में स्त्रीलिंग हैं ।

11. सर्वनामों का लिंग उनकी संज्ञा के अनुसार ही होता है । जैसे - सीता को देखो, वह रोज स्कूल

जाती है । यहाँ 'वह' स्त्रीलिंग है । राम को देखो, वह रोज स्कूल नहीं जाता है । यहाँ 'वह' पुल्लिंग है ।

लिंग परिवर्तन

भाषा में जो जब चाहे तब लिंग परिवर्तन कर देता है । एक छोटा बच्चा भी कह जाता है कि- मौसी ने मौसाजी से मुझे दस रुपए दिलवाए थे, या चाचा ने चाची से मुझे लड्डू खिलवाए थे । इससे सिद्ध होता है कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में लिंग-परिवर्तन स्वभावतः संभव होते रहते हैं ।

आइए देखें कि ये कहाँ-कहाँ और कैसे संभव होते हैं । तत्सम्, तद्भव, देशज और विदेशज – सब प्रकार के शब्दों में ये परिवर्तन होते रहते हैं ।

1. **पुल्लिंग से स्त्रीलिंग**

पुत्र - पुत्री, सुत - सुता, बाछा - बछिया, सिंह - सिंहनी, महबूब - महबूबा, गूँगा - गूँगी, तनय - तनया, चूहा - चूहिया, सेठ - सेठानी, वालिद - वालिदा, बकरा - बकरी, श्याम - श्यामा, सर्प - सर्पिणी, पंडित - पंडिताइन, मामा - मामी, साँप - साँपिन, गानेवाला - गानेवाली ।

उपर्युक्त शब्दों को देखने से स्पष्ट है कि इ, इया, इणी, इन, इनी, अनी, आइन, इ, आ आदि प्रत्ययों के योग से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं ।

2. **स्त्रीलिंग से पुल्लिंग**

पोथी - पोथा चाची - चाचा

बेटी - बेटा जीजी - जीजा

उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि ईकारांत संज्ञाओं में ई की जगह आ कर देने पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग में परिवर्तित हो जाता है ।

3. कुछ ऐसे जीव या वस्तु हैं जो मात्र पुल्लिंग या स्त्रीलिंग हैं । उनके पूर्व में मादा या नर लगाकर लिंग निर्णय किया जाता है ।

जैसे - भेड़िया (पु०) - मादा भेड़िया (स्त्री०)
लोमड़ी (स्त्री०) - नर लोमड़ी (पु०)

मित्र और दोस्त पुल्लिंग शब्द हैं इनका स्त्रीलिंग रूप बनना संभव नहीं होता । प्रयोग में विभक्ति से इनका स्त्रीलिंग रूप सूचित होता है । जैसे - वह आपकी मित्र है । यहाँ मित्र 'स्त्रीलिंग' के लिए है ।

4. मंत्री, राष्ट्रपति, सेनाध्यक्ष आदि पदवाचकता के लिए रूढ़ शब्दों का स्त्रीलिंग रूप संभव नहीं होता । इनमें पूर्व में 'माननीया' या बाद में 'महोदया' लगाकर स्त्रीलिंग बनाना पड़ता है ।

मुखिया, सरपंच, प्रमुख, आरक्षी, दारोगा, एस० पी०, आयुक्त, प्रबंधक, पदाधिकारी, किरानी आदि ऐसे ही रूढ़ पदवाची पुल्लिंग संज्ञा पद हैं । जैसे - राजपुत्री, रानीहार आदि ।

5. सामासिक शब्दों का लिंग बादवाले पद के लिंग के अनुसार होता है । जैसे - नारीमन, गायघाट, राजपुत्री ।

सर्वनाम

संज्ञा के बदले में जिन पदों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है । हिंदी में सर्वनाम कुल ग्यारह हैं- मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या ।

सर्वनाम के छह भेद हैं –

1. पुरुषवाचक 2. निजवाचक 3. निश्चयवाचक 4. अनिश्चयवाचक 5. संबंधवाचक 6. प्रश्नवाचक।

1. पुरुषवाचक सर्वनाम : जिससे किसी पुरुष का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं, हम, हमलोग, तू, तुम, आप, यह, वह आदि पुरुषवाचक सर्वनाम हैं । पुरुष तीन होते हैं – उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष ।

उत्तम पुरुष – मैं लिख रहा हूँ । हम लिख रहे हैं । हमलोग लिख रहे हैं ।

मध्यम पुरुष – तुम लिख रहे हो । तू लिख रहा है । तुमलोग लिख रहे हो । आप लिख रहे हैं। आपलोग लिख रहे हैं ।

अन्य पुरुष – यह लिख रहा है (यानी निकटस्थ राम, मोहन आदि) ।

वह लिख रहा है (यानी दूरस्थ) । वे लिख रहे हैं । वे लोग लिख रहे हैं ।

उपर्युक्त पुरुषवाचक सर्वनामों में हम, तुम (लोग), ये तथा वे बहुवचन सूचक हैं । इनकी क्रियाएँ भी बहुवचन में होती हैं । परंतु अपने इस बहुवचन वाले रूप में ही इनका प्रयोग आदरसूचक एकवचन के रूप में होता है । जैसे – आप लिख रहे हैं । आप लिख रही हैं ।

2. निजवाचक सर्वनाम : आप, स्वयं, खुद । निजताबोधक ये तीनों वस्तुतः स्वतंत्र नहीं सह सर्वनाम हैं। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता । जैसे – मैं आप समझ लूँगा । आप तो आप ही हैं । वह अपने आप चला जाएगा । राम स्वयं देख रहा था । आप खुद तो लाएँगे नहीं ।

3. निश्चयवाचक सर्वनाम : यह, वह, सो निश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं । इनका प्रयोग 'वह ही' या 'यह ही' के भाव से होता है । अनिश्चयवाचक सर्वनामों की सापेक्षता में इनका महत्त्व बढ़ जाता है । जैसे – यह होना ही था । वह टल नहीं सकता । सो होकर रहेगा आदि ।

4. अनिश्चयवाचक सर्वनाम : उन सर्वनामों को अनिश्चयवाचक कहा जाता है जिनसे किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता । जैसे – कोई पढ़ रहा होगा । किसी ने पढ़ा होगा । कुछ गिरा हुआ था । कुछ तो हुआ है ।

5. संबंधवाचक सर्वनाम : जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं । जो और सो ऐसे ही सर्वनाम हैं । जैसे – जो सही उत्तर देगा सो पुरस्कार पाएगा । सो, मैंने सोचा कि अब मैं चुप नहीं बैठ सकता । जो साधु यहाँ बैठा था, वह ठग है ।

6. प्रश्नवाचक सर्वनाम : जिस सर्वनाम में प्रश्नात्मकता हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है । कौन, क्या, किस प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं ।

प्रयोग – कौन पढ़ रहा है ? क्या पढ़ रहा है ? तुम क्या खा रहे हो ?

प्रश्नवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य के अंत में अनिवार्यतः प्रश्नवाचक चिह्न (?) होता है ।

विशेषण

जो पद किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं । जैसे – **मूर्ख** लड़का, **पाँच** छात्राएँ, **थोड़ा** चावल आदि ।

विशेषण के चार भेद होते हैं और फिर उनके अनेक उपभेद भी होते हैं । एक तालिका में इन

भेदोपभेदों को देखा जा सकता है –

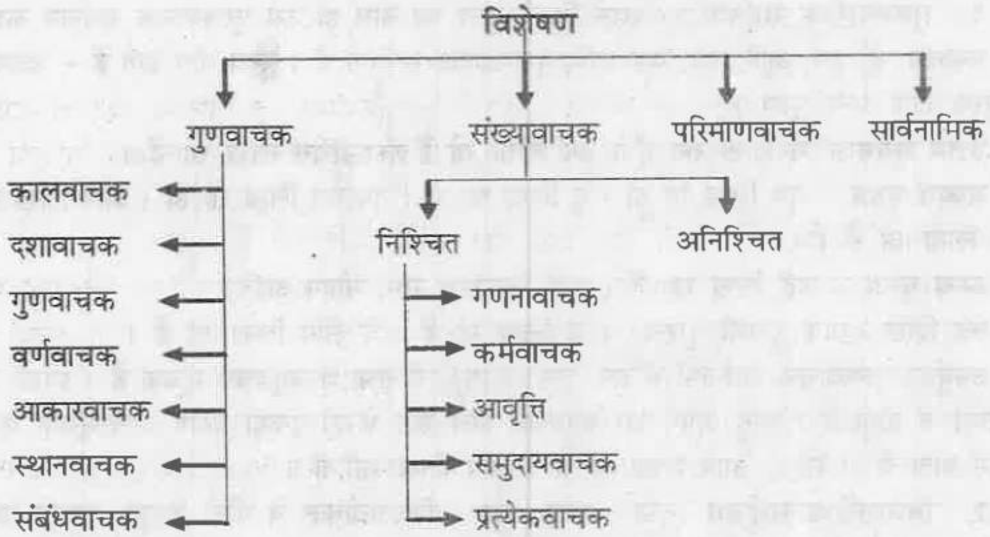

कैसा, कितने, कितना, कहाँ का, किसका – मूलत: इन प्रश्नों के सहारे विशेषण की पहचान की जाती है । लिंग-वचन के अनुसार इनकी संख्या बढ़ती है । जैसे – कैसा से कैसी, कैसे आदि । देखिए –

कैसा – गोरा, काला, सुंदर, कुरूप, लंबा, छोटा, बड़ा, तेज, मंद, अच्छा, खराब आदि ।

कितना – इतना, उतना, अधिक, कम, मनभर, पूरा, आधा, चौथाई आदि ।

कितने – सौ, हजार, दर्जन, दर्जनों, कुछ, कोई आदि ।

किसका – मेरा, मेरी, तुम्हारी, राजकीय, व्याकरणिक, गणितीय आदि ।

विशेषण संज्ञा के पूर्व लगते हैं और सर्वनाम के बाद में ।

परिचय और उदाहरण

1. **गुणवाचक :** ये गुणवाचक विशेषण आकार, प्रकार, दशा, रंग, प्रकृति, स्वभाव, क्षमता आदि के बोधक होते हैं । किसी पद की विशेषता में विशेषता का तात्पर्य विशेषता और कमी दोनों है । 'राम मोटा है ।' मोटाई उसकी विशेषता तो है ही, 'राम दुबला है' में दुबलापन भी उसकी विशेषता है । गुणवाचक में 'गुण' का तात्पर्य भी गुण और अवगुण दोनों से है । 'मोहन विद्वान है' और 'मोहन मूर्ख है' में विद्वान तथा मूर्ख दोनों गुणवाचक विशेषण हैं ।

उपर्युक्त आधारों पर ही इसके छह भेद माने गए हैं जिनका परिचय निम्नलिखित क्रम में आप देखें –

(क) कालवाचक – नया, पुराना, प्राचीन, आगामी, दीर्घजीवी, विगत आदि ।

(ख) आकारवाचक – बड़ा, मोटा, पतला, गोल, चौकोर, टेढ़ा, सीधा, लंबा, नाटा, चौड़ा, सँकरा आदि ।

(ग) दशावाचक - गंदा, साफ, बीमार, स्वस्थ, गरीब, धनी, बंदी, फरार, विद्रोही आदि ।
(घ) स्थानवाचक - बाहरी, भीतरी, देहाती, निकटवर्ती, दूरवर्ती, भारतीय, देशी, विदेशी आदि ।
(ङ) गुणवाचक - विद्वान, मूर्ख, भला, बुरा, झूठा, सज्जन, दुष्ट आदि ।
(च) वर्णवाचक - लाल, हरा, रंगीन, सफेद आदि ।
(छ) संबंधवाचक - मेरा, तुम्हारा, राजकीय, गणितीय, व्याकरणिक, काव्यात्मक, धार्मिक आदि ।

2. **संख्यावाचक :** निश्चित और अनिश्चित दोनों प्रकार मिलाकर संख्यावाचक विशेषण के छह भेद हो जाते हैं -

(क) गणनावाचक : पाँच, पचास, सौ, डेढ़, ढाई, पौन, हजार आदि ।
(ख) क्रमवाचक : हजारवाँ, पाचवाँ, चौथा, नौवाँ आदि । इन क्रमवाचक विशेषणों के प्रायोगिक रूप की भिन्नताओं के प्रति सावधान रहना चाहिए । अधिकांश में 'वाँ' प्रत्यय होता है परंतु अनेक में ला, रा, था, ठा आदि भी होते हैं । जैसे - पहला, दूसरा, चौथा, छठा, सातवाँ आदि ।
(ग) आवृत्तिवाचक : ये गुणावाचक होते हैं । दुगना, चौगुना, बीसगुना आदि ।
(घ) समुदायवाचक : समूह, समुदाय यानी समन्वित का बोध करानेवाले विशेषणों को समुदायवाचक कहा गया है । दोनों, दसों, दर्जन, कुड़ी (कुरी), गंडा, गाही, छक्का ।
(ङ) प्रत्येकवाचक : प्रति छात्र, हर गाँव ।
(च) अनिश्चयवाचक : कुछ लोग, सब लोग ।

3. **परिमाणवाचक :** माप-तौल मूलक मात्रा का बोध कराने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है । रत्तीभर सोना, इतना भात, कट्ठाभर जमीन, थानभर कपड़ा, थोड़ा दही, कुछ चीनी, भरपूर, सारा, ढेर, इतना, उतना, कुछ आदि परिमाणवाचक विशेषण हैं ।

जिसकी मात्रा अनिश्चित माप या तौल वाली है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक कहा जाता है । गज, किलो, मन, रत्ती, टन आदि की मात्रा का मान सर्वज्ञात और एक है इसलिए इन्हें निश्चित मात्रावाचक विशेषण कहा जाता है ।

मात्रावाचक विशेषणों में द्वित्व और सहयुक्ति के रूप भी प्रचलित हैं । जैसे -

(क) कुछ-कुछ मिलता रहता है ।
(ख) कुछ-न-कुछ तो मिलेगा ही ।
(ग) थोड़ी-बहुत चीनी मिल जाती है ।
(घ) बहुत सारे सामान बच गए थे ।

भर या सा-सी प्रत्यय लगाकर अनेक परिमाणवाचक विशेषण बनते हैं । जैसे - मुट्ठीभर, पावभर, मनभर, रत्तीभर, थोड़ा-सा, इतना-सा आदि । परंतु मीट्रिक प्रणाली के ग्राम-सेंटीमीटर से लेकर, किलो, क्विंटल, टन या किलोमीटर आदि के साथ भर का प्रयोग प्रायः नहीं होता । रत्तीभर, पावभर, सेरभर, मनभर आदि की स्वाभाविकता, ग्रामभर, किलोभर, क्विंटलभर, टनभर में नहीं आ पाती । इनके साथ एक ग्राम, दस ग्राम, पचास ग्राम, सौ ग्राम, ढाई सौ ग्राम, एक किलो, एक मीटर, एक किलोमीटर आदि पहले निश्चित मात्रा या दूरी बोधक विशेषण लग जाते हैं । इनमें से एक, दो, पाँच आदि संख्या लगने के बावजूद ये संख्यावाचक नहीं परिमाणवाचक हैं, क्योंकि इनमें संख्यावाचक पद गौण हैं ।

4. सार्वनामिक विशेषण : जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है । सर्वनाम के बाद जब संज्ञा होती है तो वहाँ वह सर्वनाम परवर्ती संज्ञा का ही विशेषण बन जाता है । वह, यह, ये, वे, हम, आप सर्वनाम हैं ।

स्वतंत्र रूप से क्रिया संपादित करने की अवस्था में ये सर्वनाम रहते हैं परंतु किसी संज्ञा का पूववर्ती बनते ही विशेषण हो जाते हैं । जैसे - **वह** लड़का बहुत तेज है । **यह** लड़की जाना चाहती है ।

यह, वह, कौन, जो आदि सर्वनामों से बने इस, ऐसा; उस, वैसा, वैसी; किस, कैसा, कैसी, कैसे; जिस, जैसा, जैसी, जैसे आदि सार्वनामिक विशेषण हैं । इनका प्रयोग किसी संज्ञा के विशेषण के रूप में ही हो सकता है । जैसे - इस आदमी ने सब किया है; ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा ।

सार्वनामिक विशेषणों के भी आवृत्तिमूलक और यौगिक प्रयोग होते हैं - कैसे-कैसे लोगं हैं ? कोई ऐसा-वैसा काम मत करना ।

संज्ञा के पूर्ववर्ती विशेषण को **विशेष्य विशेषण** कहते हैं । जैसे - **लाल** कपड़ा, **तेज** लड़का, **विद्वान** व्यक्ति, **चरित्रवान** छात्र ।

संज्ञा के बाद और क्रिया के पहले रहने वाला विशेषण विधेय विशेषण कहा जाता है, जैसे - यह मिठाई **अच्छी** है । वह साधु **ठग** है। पढ़ाई **अधूरी** रह गई ।

विशेषण की सबलता या दुर्बलता बताने के लिए विशेषण के पूर्व जो भी विशेषण लगाए जाते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं । ये एक से अधिक भी हो सकते हैं । जैसे - मोहन **बड़ा** विद्वान है। भोजन **बहुत** स्वादिष्ट है । सोहन के पिता **बहुत बड़े** विद्वान हैं । भोजन **बहुत अधिक** तीखा है ।

विशेषण की अवस्थाएँ

तुलनात्मकता की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएँ होती हैं – (क) मूलावस्था (ख) उत्तरावस्था (ग) उत्तमावस्था ।

हिंदी में संस्कृत के तत्सम शब्दों में तर तथा तम प्रत्ययों के सहारे उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बन जाती है । परंतु तद्भव, देशज आदि शब्दों में 'से अधिक' और 'सबसे' प्रविशेषण का प्रयोग विशेषण के पूर्व करना पड़ता है । जैसे -

(क) मूलावस्था - माला सुंदर लड़की है । राजू लंबा लड़का है ।
(ख) उत्तरावस्था - माला पिंकी से सुंदर है । राजू सोनू से लंबा है ।
(ग) उत्तमावस्था - माला सुंदरतम लड़की है । राजू सबसे लंबा है । माला सबसे सुंदर लड़की है । राजू सबसे अधिक लंबा है ।

विशेषण के रूप में सु, कु, सत् तथा अप उपसर्गों का प्रयोग भी होता है । उनका प्रयोग प्राय: तत्सम शब्दों के साथ ही देखा जाता है - कुकर्म, कुयोग, सुयोग, सुदिन, सुशासन, सत्कर्म, सद्बुद्धि, अपकर्म आदि ।

विशेषण का निर्माण

हिंदी व्याकरण के विशेषण प्रकरण में विशेष्य से विशेषण बनाने की प्रक्रिया का विशेष महत्त्व होता है । विद्यार्थियों के लिए इसका महत्त्व और बढ़ जाता है ।

संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया से विभिन्न प्रत्ययों तथा उपसर्गों की सहयः से विशेषण बनाए जाते हैं ।

संज्ञा से –	जल – जलीय
	कुंती – कौंतेय
	बुद्धि – बौद्धिक, बुद्धिमान
सर्वनाम से –	मैं – मेरा
	तुम – तुम्हारा
	उस – वैसा
क्रिया से –	पीना – पेय
	खाना – खाद्य
	तुलना – तुलनीय
	दर्शन – दर्शनीय

ध्यान रखने की बात है कि अच्छा, बुरा, विद्वान, मूर्ख, छोटा, बड़ा आदि को मूल विशेषण कहा जाता है । इन्हें रूढ़ भी कहा जाता है । जैसे – बुद्धिमान, बलवान, जलीय, दर्शनीय, दुर्बल, अधमरा, अनपढ़ आदि । प्रत्यय या उपसर्ग के योग से बने विशेषण यौगिक कहे जाते हैं ।

क्रिया

क्रिया उस विकारी पद को कहा जाता है जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है । क्रिया का मूल रूप धातुएँ (लिख, पढ़, जा, आ, देख, गा, चल आदि) होती हैं । इन धातुओं में विभिन्न प्रत्यय जोड़कर क्रियाएँ बनाई जाती हैं ।

क्रिया के भेद

1. रचना की दृष्टि से –
   (क) मूल क्रिया (ख) यौगिक क्रिया (प्रेरणार्थक, संयुक्त, अनुकरणात्मक, नामधातु)
2. कर्म की दृष्टि से –
   (क) अकर्मक (ख) सकर्मक
3. कालबोधकता की दृष्टि से –
   (क) मुख्य क्रिया (ख) सहायक क्रिया (ग) पूर्वकालिक क्रिया
4. अर्थ की दृष्टि से –
   (क) निश्चयार्थ (ख) संभावनार्थ (ग) संदेहार्थ (घ) आज्ञार्थ (ङ) संकेतार्थ
5. क्रियार्थक संज्ञा

1. रचना की दृष्टि से

(क) मूल क्रिया : मूल क्रिया को रूढ़ क्रिया भी कहते हैं । इन क्रियाओं में 'ना' हटने के बाद कोई अन्य प्रत्यय नहीं लगता जिसके कारण ये मूल धातु के रूप में ही रह जाती हैं ।

मूल क्रियाओं का प्रयोग केवल मध्यम पुरुष के 'तू' सर्वनाम के साथ दोनों वचनों में होता है । यह आज्ञार्थक और वर्तमानकालिक होता है ।

मध्यम पुरुष एकवचन वर्तमान काल आज्ञार्थक - तू सब जा, तू सब गा, तू सब पढ़ । जा, गा, पढ़ क्रियाओं से ना हट गया है परंतु इनमें कोई लिंग, वचन आदि का कालबोधक प्रत्यय नहीं लगा है । इन क्रियाओं में लिंग-भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । तू, जा या गा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में एकरूप होते हैं ।

(ख) यौगिक क्रिया : प्रत्ययुक्त या एकाधिक क्रियाओं से युक्त होने के कारण ये क्रियाएँ यौगिक कही जाती हैं । यौगिक क्रिया के चार भेद होते हैं -

(i)	प्रेरणार्थक क्रिया	-	लिखाना, लिखवाना, दिलवाना आदि ।
(ii)	संयुक्त क्रिया	-	मार डालना, फेंक देना, दे मारना, कर लेना आदि ।
(iii)	अनुकरणात्मक क्रिया	-	बड़बड़ाना, टुनटुनाना, झनकारना, झनझनाना आदि ।
(iv)	नाम धातु	-	हथियाना, लतियाना, स्वीकारना आदि ।

(i) प्रेरणार्थक क्रिया : कर्ता की प्रेरणा से अन्य द्वारा जो क्रिया संपन्न होती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है । करवाना, दिलवाना, ढहवाना, बिकवाना, बँधवाना आदि प्रेरणार्थक क्रियाएँ हैं । यदि खाना क्रिया को उदाहरण बनाया जाए तो -

मोहन खाता है । इसमें खाने की क्रिया मोहन स्वयं संपन्न करता है ।

मोहन सुस्मिता से अलका को मिठाई खिलवाता है । इसमें खाने की क्रिया अलका करती है परंतु वह भी स्वेच्छा या स्वाधीनता से नहीं । उसे खाने के लिए सुस्मिता प्रेरित करती है ।

'मोहन सुस्मिता से अलका को मिठाई खिलवाता है' में अलका तथा मिठाई दो कर्म तो हो ही जाते हैं, कर्ता भी मोहन तथा सुस्मिता दो हो जाते हैं । ऐसे प्रेरणार्थक प्रयोगों में पहला प्रेरक कर्ता कहा जाता है और दूसरा प्रेरित कर्ता । यहाँ मोहन प्रेरक कर्ता है और सुस्मिता प्रेरित कर्ता ।

प्रेरणार्थक क्रियाएँ सकर्मक होती हैं । अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक रूप में हो तो उसमें कर्म आ जाता है और वह अकर्मक क्रिया भी सकर्मक हो जाती है । देखें -

(i) भौजाई ननद से बच्चे का सुलवाती है ।

(ii) अनूप ने अंकेश को अमरेश से कहकर जगवा दिया था ।

उपर्युक्त वाक्यों में सोना और जगना अकर्मक क्रियाएँ हैं । परंतु सुलवाना और जगवाना प्रेरणार्थक रूप में सकर्मक हो गई हैं ।

आना, जाना, पाना, होना, रुचना, सकना, रहना, सिसकना, गरजना आदि क्रियाओं के प्रेरणार्थक रूप नहीं बनते ।

(ii) संयुक्त क्रिया : जिस क्रिया के पूर्व एक अन्य क्रिया मूल रूप में रहती है वह संयुक्त क्रिया कही जाती है और दोनों को मिलाकर वहाँ एक क्रिया बनती है । जैसे - खा चुका, जा चुका, चला गया, आ गया, पा गया, ले आया, पढ़ लिया, सोने लगा, देख पाता हूँ, देखता रहा हूँ आदि ।

ध्यान में रखने की बात है कि इन संयुक्त क्रियाओं में पहली क्रिया ही मुख्य होती है । दूसरी उसकी दशा का बोध कराती हुई सहायक की भूमिका निभाती है ।

(iii) अनुकरणात्मक क्रिया : ध्वनि, दशा या क्रियात्मकता विशेष को हूबहू बिंबित कर देने वाले क्रियापदों को अनुकरणात्मक यौगिक क्रिया कहते हैं । खटखटाना, टुनटुनाना, थपथपाना, लिखना, छलछलाना, घिघियाना आदि क्रियाएँ इसके उदाहरण हैं । कहा जाता है – 'वे बैठे-बैठे चने पुटपुटा रहे थे ।'

(iv) नामधातु क्रिया : संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में ना, इयाना, वाना, याना, आना आदि प्रत्ययों के योग से बनने वाली क्रियाओं को नामधातु क्रिया कहा जाता है । इसकी सबसे पहली विशेषता यह होती है कि इसका नाम नामधातु है, परंतु इसमें से धातु पूर्णतः गायब रहती है। उसमें **नाम अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ही धातु का काम करता है** । उसमें ही विभिन्न प्रत्यय मिलाकर क्रियाएँ बनाई जाती हैं । ये नाम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय भी हो सकते हैं।

संज्ञा – हाथ - हथियाना, स्वीकार - स्वीकारना, झूठ - झुठलाना ।

सर्वनाम – आप - अपनाना ।

विशेषण – दोहरा - दुहराना, आधा - अधियाना, ठंढा - ठंढाना, चिकना - चिकनाना ।

2. कर्म की दृष्टि से

(क) अकर्मक (ख) सकर्मक

(क) अकर्मक क्रिया : अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसकी निष्पत्ति बिना किसी कर्म के ही हो जाती है । जैसे – सोना, जगना, आना, जाना, मरना, लजाना आदि ।

वह सो रहा है । वह जग गया । वह आया था । वह मर गया ! लड़की लजा गई । इन वाक्यों में उक्त या अनुक्त कोई कर्म नहीं है । इसलिए ये क्रियाएँ अकर्मक हैं ।

(ख) सकर्मक क्रिया : सकर्मक क्रियाओं में उक्त या अनुक्त कर्म की स्थिति निश्चित होती है जिसपर क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ता है । खाना, लेना, देना, पढ़ना, काटना, जोड़ना, बनाना, बिगाड़ना आदि सकर्मक क्रियाएँ है । द्रष्टव्य –

(i) राम खा रहा है या राम आम खा रहा है ।

(ii) मोहन ले रहा है या मोहन रुपए ले रहा है ।

अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए सबसे उपयुक्त तरीका यह है कि क्रिया में **क्या, किसे और किसको** जोड़कर प्रश्न किया जाए । यदि कोई उत्तर हो या उत्तर मिलने की संभावना हो तो वह क्रिया सकर्मक यानी कर्म से युक्त कही जाएगी और यदि कोई उत्तर संभव नहीं लगे तो निश्चय ही वह क्रिया कर्मविहीना यानी अकर्मक होगी ।

'खाना' क्रिया में क्या जोड़ने पर यदि वाक्य में कर्म उपस्थित है तो उत्तर मिल ही जाएगा और यदि कर्म उक्त नहीं है तो उत्तर (आम, रोटी, भात, मिठाई आदि) कुछ भी संभव लगेगा ।

'सोना' क्रिया में क्या लगाकर आप प्रश्न करें ! इसमें कोई उत्तर नहीं मिलेगा । 'सोना' क्रिया का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ता इसलिए यह क्रिया अकर्मक कही जाती है ।

अकर्मक क्रियाएँ भी प्रेरणार्धक रूप में सकर्मक हो आती है । माता बच्चा सुलाती है या बच्चे को सुलाती है में कर्म बच्चा होता है इसलिए यहाँ सोना प्रेरणार्थक रूप में सकर्मक हो आती है ।

3. कालबोधकता की दृष्टि से

(क) मुख्य क्रिया (ख) सहायक क्रिया (ग) पूर्वकालिक क्रिया

(क) मुख्य क्रिया : मुख्य क्रिया वह सामान्य मूल क्रिया होती है जो एक कर्ता द्वारा सीधे निष्पन्न होती है । जैसे – 'मोहन पुस्तक पढ़ता है या मोहन सोता है ।' इसमें 'पढ़ना' और 'सोना' क्रिया अपने सीधे-स्वाभाविक रूप में है ।

(ख) सहायक क्रिया : क्रिया की कालगत स्थिति का बोध कराने वाली सह क्रियाओं को सहायक क्रिया कहा जाता है । जैसे – है, था, थे, थी आदि । इनसे लिंग, वचन तथ पुरुष का भी पता चलता है । खाना क्रिया से वाक्य बना – 'वह खा रहा है' । इस वाक्य में सहायक क्रिया 'है' से अन्य पुरुष, एकवचन, पुल्लिंग, वर्तमान काल का बोध हो रहा है । इसके अन्य प्रयोग –

मैं खा रहा हूँ । मैं खा रहा था ।
तुम खाओगे । वे खाते थे ।
वे खा रही हैं । वे खाएँगी ।
उन्होंने रोटियाँ खाई थीं । उन्होंने आम खाए थे ।

उपर्युक्त वाक्यों में से एक खाना क्रिया के पुरुष, लिंग, वचन, काल आदि का पता सहायक क्रियाओं – है, हो, थे, था, गा, गे, गी आदि से चलता है । वाक्य में सहायक क्रियाविहीन क्रिया भी संभव होती है ।

(ग) पूर्वकालिक क्रिया : जब कर्ता पहली क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया की ओर मुड़ता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है । जैसे – वह नहाकर खाता है । वह पढ़कर सोता है ।

इन वाक्यों में 'नहाकर', 'पढ़कर' पूर्वकालिक क्रियाएँ हैं ।

4. **क्रियार्थक संज्ञा :** क्रिया अपने मूल स्वरूप (खाना, पढ़ना, लड़ना आदि) में क्रिया नहीं संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है । जैसे – खाना संपन्न हो चुका । खाना प्रारंभ ही नहीं हुआ । पढ़ना जारी रहना चाहिए । यहाँ आना खतरनाक हो सकता है । बोलना अब संभव नहीं रह गया है ।

5. **अर्थ की दृष्टि से**

इस दृष्टि से क्रिया के पाँच अर्थमूलक भेद बताए गए हैं –

(क) निश्चयार्थ (ख) संभावनार्थ (ग) संदेहार्थ (घ) आज्ञार्थ (ङ) संकेतार्थ ।

(क) निश्चयार्थ : निश्चय अर्थ को व्यक्त करने वाली क्रियाएँ निश्चयार्थ कहलाती हैं । जैसे – मौसम बड़ा सुहाना है । आप पूजा करते हैं ।

इन वाक्यों में क्रियाएँ अपने निश्चित अर्थों में प्रयुक्त हुई हैं ।

(ख) संभावनार्थ : संभावनामूलक अर्थ वाली क्रिया को संभावनार्थ कहा जाता है । जैसे –

अभी वह पढ़ता हो ।	(संभावना)
शायद वे आए हों ।	(अनुमान)
आप सौ वर्ष जिएँ ।	(इच्छा, आशीष)
हमें भरपूर श्रम करना चाहिए ।	(कर्त्तव्यमूलक)

(ग) संदेहार्थ : जहाँ क्रिया संदिग्ध हो वहाँ वह संदेहार्थ होती है । जैसे - रंजू ने ही कंचन को बताया होगा । बाबू ने बब्बू को उकसाया होगा ।

(घ) आज्ञार्थ : आज्ञा, अनुरोध, प्रार्थना, उपदेश, विधि, निषेध आदि का बोध कराने वाली क्रिया को आज्ञार्थ कहते हैं । जैसे - भोजन कर लो । भोजन किया जाए । प्रभु, प्रसन्न होइए । सत्य हमेशा सत्य होता है । उसे अपनाओ । झूठ कभी मत बोलो ।

(ङ) संकेतार्थ : हेतुहेतुमद्भूत काल के उदाहरण संकेतार्थ में परिगणित होते हैं । जैसे - यदि वे गलत करते तो इतनी निडरता से नहीं बोलते । यदि तुम आते तो मैं कल चला जाता ।

अव्यय

अव्यय अविकारी शब्द को कहा जाता है ।

"अव्यय उस शब्द (पद) को कहा जाता है जो किसी भी वचन, लिंग, पुरुष, कारक, काल आदि में अपना रूप नहीं बदलता ।"

संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि विकारी शब्द होते हैं, उनमें लिंग, वचन, काल आदि के चलते परिवर्तन हो जाते हैं । परंतु अविकारी क्रियाविशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक आदि में किसी भी स्थिति में कोई विकार (परिवर्तन) नहीं आता । यही कारण है कि इन्हें अव्यय कहा जाता है ।

अव्यय के चार भेद होते हैं -

(क) क्रियाविशेषण (ख) संबंधबोधक (ग) समुच्चयबोधक (घ) विस्मयादिबोधक

(क) क्रियाविशेषण : क्रिया की विशेषता बताने वाले तेज, धीरे, ऊपर, नीचे आदि क्रियाविशेषणों की वर्गभेद के अनुसार बहुत बड़ी संख्या है । कुछ प्रमुख वर्गभेद और क्रियाविशेषणों का निर्देश द्रष्टव्य है-

रूपगत -

1. मूल - कब, अब, जब, दूर, यहाँ, वहाँ – यहाँ आइए, यहाँ आया, यहाँ आए, यहाँ आता है ।
2. यौगिक - हररोज, प्रतिदिन – प्रतिदिन आओ, प्रतिदिन आते थे ।

अर्थगत -

1. स्थानवाचक - यहाँ, वहाँ, पास, पीछे, दूर, निकट, यहीं, कहीं, ऊपर, नीचे आदि ।
2. दिशावाचक - उधर, इधर, किधर, सामने, पीछे, की ओर, वहाँ से आदि ।
3. कालवाचक - हमेशा, कभी-कभी, पहले, बाद में, दिन में, रात में, कल, परसों, तरसों आदि ।
4. रीतिवाचक - धीरे, विशेषतः, ऐसे, वैसे, इस तरह, धीरे-धीरे, तेजी से आदि ।
5. आकस्मिकतावाचक - अकस्मात्, अचानक, सहसा, एकाएक आदि ।
6. निश्चयबोधक - अवश्य, जरूर, निस्संदेह, ही, बेशक आदि ।
7. अनिश्चयवाचक - शायद, संभवतः, कदाचित, यथासंभव आदि ।
8. यथार्थतावाचक - वस्तुतः, दरअसल, असल में, वास्तव में आदि ।
9. कारणवाचक - अतः, अतएव, इसलिए, क्योंकि आदि ।
10. अवधारणावाचक - जब तक, ही, भी, तो, जरा, केवल आदि ।

11. परिमाणवाचक – इतना, कितना, थोड़ा, बहुत, तनिक, ज्यादा आदि ।

12. निषेधवाचक – मत, ना, नहीं, कभी नहीं आदि ।

13. स्वीकृतिवाचक – जी, हाँ, जी हाँ, अच्छा, ठीक आदि ।

14. प्रश्नवाचक – क्यों, कैसे, किसलिए, क्या आदि ।

(ख) संबंधबोधक अव्यय

संज्ञा-सर्वनाम के बाद लगकर अन्य पदों से उनका संबंध बताने वाले पदों को संबंधबोधक अव्यय कहा जाता है ।

के पूर्व, के सहारे, से परे, के पास, के समान, के बराबर, के मुकाबले आदि तथा समय, दिशा, साधन, कारण, पृथकता, स्थान, समानता और विरोध सूचित करानेवाले अव्यय हैं । तक, भर, बिना आदि भी इसके प्रमुख उदाहरण हैं ।

(ग) समुच्चयबोधक अव्यय

एक से अधिक पदों, पदबंधों या वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चयबोधक अव्यय कहा जाता है । जैसे –

भारत **और** अमरीका ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया ।

तैरते हुए नदी पार करना **या** पूरे शहर के चक्कर लगाना कोई असंभव नहीं है।

नील खेल रहा है **और** उसके पिताजी हँस रहे हैं ।

और, एवं, या, वा, कि, यदि, क्योंकि, ताकि, इसलिए, तथापि, मानो, तथा, अथवा, चाहे, नहीं तो, यदि, यद्यपि, परंतु, लेकिन, मगर आदि विभिन्न संदर्भ सूचित करने वाले अव्यय हैं । समुच्चयबोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं –

(क) समानाधिकरण – लेकिन, किंतु, परंतु, या ।

(ख) व्याधिकरण – कि, क्योंकि, यद्यपि, तथापि ।

अव्यय समुच्चयन या संयोजन के अलावा वियोजन का भी काम करते हैं । या, वा की, परंतु, न आदि वियोजक यानी वियोजनमूलक अव्यय हैं ।

(घ) विस्मयादिबोधक अव्यय

वक्ता या लेखक के विस्मय, हर्ष, विषाद, शोक, उल्लास आदि का बोध कराने वाले अव्ययों को विस्मयादिबोधक अव्यय कहा जाता है । अरे, ओह, अहा, शाबाश, तौबा, छिः, ठीक आदि इसके उदाहरण हैं ।

अवधारक (निपात)

अवधारक या निपात वे पद होते हैं जो अपना कोई स्वतंत्र अर्थ न होने के बावजूद वाक्य की वाचकता तथा व्यंजना में विशिष्टता ला देते हैं । हाँ, जी, जी हाँ, जी नहीं, भी, ही, तो, तक, बार, मात्र, मत, क्या, न, सा, काश, तक, भर, केवल, मात्र, सिर्फ, ठीक, लगभग, करीब, जितना, और भी, फिर भी, पर भी, जैसे भी, सिर्फ आदि निपात हैं ।

ये अवधारक इसलिए कहे जाते हैं कि अति लघु और अस्थिर स्थान वाले होने के बावजूद ये पूरे वाक्य के कथ्य को अकेले प्रभावित कर जाते हैं । उदाहरण के लिए –

"आप आइएगा न !"

"हाँ तो !"

निपात के कुछ प्रमुख प्रयोग-भेद –

1.	**स्वीकारात्मक**	– हाँ, जी, जी हाँ, हाँ जी	– हाँ, आप आ जाइए !
			– जी, मैं सुन रहा हूँ ।
			– जी हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ ।
			– हाँ जी, बोलिए ।
2.	**अस्वीकारात्मक**	– न, नहीं, जी नहीं	– न, पहले आप सुनिए ।
			– नहीं, आप नहीं जाएँगे ।
			– जी नहीं, आज मैं नहीं मिल सकता ।
3.	**निषेधात्मक**	– मत	– मत डरना तू कभी किसी से ।
4.	**आदर्शात्मक**	– जी	– जी, मैं ही कर दूँगा ।
5.	**तुलनात्मक**	– सा	– बच्चों-सा उछलना अब ठीक नहीं ।
6.	**विस्मयार्थक**	– क्या	– आप मांस खाते हैं क्या ?
7.	**सीमावाचक**	– तक, भर, केवल, मात्र	– मैं उसकी ओर देखता तक नहीं ।
			– मैंने उसे देखा भर था ।
			– केवल तू आ जा ।
			– मात्र, दस दिन रहा था ।
8.	**बलार्थ**	– हाँ, भी	– उसे तो मरना ही था ।
			– जरा सुनूँ भी !
9.	**प्रश्नसूचक**	– क्या, न	– मोहन पढ़ता है क्या ?
			– मोहन पढ़ता है न ?

इन एक-एक निपातों के कहने की भंगिमा या बलाघात के साथ अनेकार्थक और विविध प्रयोग होते हैं । जैसे, 'क्या' के प्रयोग –

1. क्या तुम आओगे ? – प्रश्न को तीक्ष्ण बनाता 'क्या' ।
2. तुम क्या आओगे ? – यानी तय है कि तुम नहीं आओगे ।
3. तुम आओगे क्या ? – यानी आने के संबंध में तुम्हारी क्या योजना है ? या तुम आने की गलती करोगे ?
4. वाह, क्या पुस्तक है ? – यानी विस्मयकारिणी विशेषताओं से युक्त ।

अवधारक या निपात की अपनी विशेषता होती है कि पारंपरिक अर्थगत अवधारणाओं के बंधन से ये बड़ी आसानी से अपने को मुक्त कर सर्वथा नवीन और प्रसंगानुकूल व्यंजना प्रस्तुत कर जाते हैं। क्या, न, हाँ आदि के अपने पारंपरिक अर्थ हैं, परंतु निपात के रूप में ये उन अर्थों की सीमा तोड़ डालते हैं ।

जैसे –

(क) तुम अभी खा लो न ! – आदेशात्मक – अनुरोधात्मक

(ख) अच्छा खाता हूँ न ! – अवकाश-याचनामूलक स्वीकृति

(ग) आइएगा न ? – स्वीकृति-याचनामूलक

इन तीन वाक्यों में एक निपात 'न' तीन भावों की व्यंजना कर रहा है ।

इसी बिंदु पर निपात अव्ययों से स्वतंत्र हो जाते हैं । अव्ययों में पारंपरिक अर्थ-योजन, विस्मय, संबंध, क्रियाविशेषण आदि युक्त रहते हैं, परंतु निपात अपने प्रयोग में सर्वथा स्वतंत्र हो जाते हैं ।

क्रियाविशेषण – (कब, अब, यथावत, निकट, समीप); संबंधबोधक – (के, से, में, को) समुच्चयबोधक – (और, एवं, या, वा, फिर, तथा, अथवा, क्योंकि, तो) विस्मयादिबोधक – (अरे, अहो, अहा) – ये अव्यय अविकारी तो हैं ही अपने अर्थ में भी ये पूरी तरह रूढ़ हैं । यही कारण है कि क्रियाविशेषण अर्थ के विस्तार का आधार बनते हैं जबकि निपात कथन को व्यंजना से युक्त बनाते हैं ।

समास

दो या दो से अधिक पदों के मेल से उत्पन्न विकार को समास कहते हैं । 'समास' शब्द का अर्थ होता है संक्षेप और 'विकार' का अर्थ होता है परिवर्तन । तात्पर्य यह कि दो या अधिक पद आपस में मिलते हैं और फिर उनके मिलने से दोनों की स्वतंत्र अलग-अलग सत्ताओं और उनके स्वरूपों में अंतर आता है । इस तरह एक नए पद के रूप में उनका अंतरण होता है । इस प्रक्रिया को समास होना कहा जाता है और उस नए पद को सामासिक पद कहा जाता है ।

एक वाक्य है – "श्री रामायण उपाध्याय गंगा का जल रखते हैं ।"

इस वाक्य में 'गंगा का जल' पर आप ध्यान दें । गंगा पद के साथ 'का' विभक्ति जुड़ी हुई है । कर्म जल के साथ भी 'को' सूचक शून्य विभक्ति लगी हुई है । 'गंगा का जल' इन तीन पदों में समास हुआ । आज कोई भी गंगा का जल नहीं कहता । सर्वथा अपठित-निरक्षर व्यक्ति भी 'गंगाजल' ही कहता है ।

समास तो हो गया और समस्त रूप भी सर्वस्वीकृत हो गया, परंतु इस प्रक्रिया पर ध्यान देने वाला पाता है कि इस समास प्रक्रिया ने पूर्व पद की विभक्ति 'का' को साफ कर दिया है और दोनों पद मिल कर एक पद 'गंगाजल' में परिणत हो चुके हैं ।

(क) "राजा की पुत्री ने गंगा के जल से उस भगवान की पूजा की जिनका कोई अंत नहीं है" – कुल अठारह पद ।

(ख) "राजपुत्री ने गंगाजल से अनंत भगवान की पूजा की" – नौ पद ।

(ग) राजपुत्री ने गंगाजल से अनंतभगवत्पूजन किया – छह पद ।

यह है समास का महत्त्व । समास से समय की बचत होती है, कागज कम खर्च होता है और सघनता आने से भाषा की प्रभाव क्षमता बढ़ती है ।

समास के भेद

समास के मुख्यत: छह भेद हैं –

1. अव्ययीभाव समास, 2. तत्पुरुष समास, 3. कर्मधारय समास, 4. बहुव्रीहि समास, 5. द्वंद्व समास, 6.

द्विगु समास । इनके अतिरिक्त नञ्, उपपद और पुनरुक्त भी अन्य भेद माने जाते हैं ।

हिंदी भाषा में प्राय: दो पदों के बीच के समास की आवश्यकता पड़ती है । दो से अधिक पदों में समास के उदाहरण, हिंदी में अत्यल्प ही मिलते हैं ।

समास में पूर्वपद और उत्तरपद की पहचान महत्त्वपूर्ण होती है यानी पहला पद और बाद वाला पद । समस्त पद रामकृष्ण में 'राम' पूर्व पद है और 'कृष्ण' उत्तर पद ।
हाथी-घोड़ा, त्रिभुज, यथासंभव, राजपुत्र, लालफूल और लंबोदर में दो-दो पद हैं । इन समस्त पदों में कौन सा समास हुआ है, यह पहचानने के लिए इनके पदों की प्रधानता की पहचान करनी होती है क्योंकि उस प्रधानता के आधार पर ही परिभाषाएँ निर्मित हुई हैं ।

1. **अव्ययीभाव समास :** अव्ययीभाव समास वहाँ होता है जहाँ प्रथम पद अव्यय हो और पूरा सामासिक पद क्रियाविशेषण हो । प्रतिदिन, एकाएक, यथासंभव, यथाशक्ति, आमरण, हररोज, बखूबी, प्रत्यक्ष आदि इसके उदाहरण हैं । ये सारे पद क्रियाविशेषण हैं ।

वह प्रतिदिन जाता है । वह एकाएक आ गया । यथासंभव कर तो रहा हूँ । यथाशक्ति दान करना चाहिए । आमरण अनशन करना मूर्खता है । हररोज जाना ठीक नहीं ।

2. **तत्पुरुष समास :** जिस समस्त पद में बाद वाला पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं । इसमें प्रथम पद की कारकीय विभक्ति का लोप हो जाता है । गंगाजल, राजपुरुष, वायुसेना, पर्वतराज, अश्वशक्ति, आदमखोर आदि ।

कारकीय विभक्तियों का लोप कर सामासीकरण का कार्य इस समास में होता है इसलिए कर्म से लेकर अधिकरण कारक तक इसके छह भेद हो जाते हैं । जिन्हें द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष कहने का रिवाज है ।

द्वितीया - को	आदमखोर - आदमी **को** खाने वाला; जूताचोर, तिलचट्टा आदि ।
तृतीया - से	रोगजर्जर - रोग **से** जर्जर; अकालपीड़ित, शोकाकुल आदि ।
चतुर्थी - के लिए	ब्राह्मणभोज - ब्राह्मण **के लिए** भोज; देशभक्ति, रसोईघर आदि ।
पंचमी - से	देशनिकाला - देश **से** निकाला; पदच्युत, पथभ्रष्ट, ऋणमुक्त आदि ।
षष्ठी - का, के, की	गंगाजल - गंगा **का** जल; राजपुरुष, उमापति, जनकसुता आदि ।
सप्तमी - में, पर	वनवासी - वन **में** वास करनेवाला; ग्रामवासी, सत्यनिष्ठ आदि ।

3. **कर्मधारय समास :** सामासिक पदों में यदि विशेषण-विशेष्य या उपमेय-उपमान संबंध बनता हो तो वहाँ कर्मधारय समास होता है ।

विशेषण-विशेष्य का तात्पर्य हुआ किसी एक की विशेषता बताने वाला दूसरा पद विशेषण हो । उपमेय-उपमान का अर्थ है कि पद की विशेषता बताने के लिए दूसरे पद से उसकी उपमा दी जाए । जिसकी विशेषता बतानी होती है उसे उपमेय कहा जाता है और जिससे समानता के आधार पर उपमा दी जाती है उसे उपमान कहा जाता है । जैसे - 'मुख कमल के समान है' कहा जाए तो इसमें मुख उपमेय है क्योंकि उसकी विशेषता बताने के लिए कमल से उसकी उपमा दी जा रही है और यहाँ कमल उपमान हुआ । जैसे -

लालगाय - लाल रंग (विशेषण) की गाय (विशेष्य)

फुलौड़ी - फूली हुई बड़ी

पकौड़ी - पकी हुई बड़ी

मुखसरोज - मुख रूपी सरोज

कमलनयन - कमल के समान नयन

उदरसिंधु - उदर रूपी सिंधु

4. **बहुव्रीहि समास** : जब समास में आए पदों में से किसी पद की प्रधानता न रहे, वरन् एक तीसरा विशेष अर्थ प्रधान हो आए वहाँ बहुव्रीहि समास होता है । लंबोदर एक समस्त पद है । इसमें दो पद हैं - लंबा और उदर। समास होने पर जो लंबोदर पद बनता है उसमें उपर्युक्त दोनों घटक पदों पर तीसरा विशेष अर्थ गणेश प्रधान हो आता है । इसका विग्रह होता है - लंबा है उदर जिसका अर्थात् गणेश।

दशानन (रावण), त्रिनेत्र (शिव), पीतांबर (विष्णु), षडानन (कार्तिकेय), सहस्रबाहु (जिसे परशुराम ने मारा था), वृंदावनविहारी (कृष्ण) आदि इस समास के उदाहरण हैं ।

5. **द्वंद्व समास** : जिसमें दोनों पद प्रधान हों उसे द्वंद्व समास कहा जाता है । द्वंद्व समास के विग्रह के बाद दोनों पदों के बीच समुच्चयबोधक अव्यय 'और' या 'या' होता है । जैसे -

गौरीशंकर - गौरी और शंकर	राधाकृष्ण - राधा और कृष्ण
दिनरात - दिन और रात	ऊँचनीच - ऊँचा या नीचा
मरना-जीना - मरना या जीना	मैं-तुम - मैं और तुम
मनवचनकर्म - मन, वचन और कर्म	देश-विदेश - देश या विदेश

(यानी तीन पद हों तो तीनों पद समान प्रधानता वाले होते हैं।)

6. **द्विगु** : जिस सामासिक पद का पहला पद संख्यावाचक हो उसमें द्विगु समास होता है । जैसे - त्रिभुज - तीन भुजाओं वाली आकृति; चौमुहानी - चार रास्तों का मिलनस्थल, तिनमुहानी - तीन रास्तों का मिलनस्थल, पंचमंदिर, सतघरवा, पंचमुखी आदि द्विगु समास के पद हैं ।

उपर्युक्त छह प्रमुख समासों के अतिरिक्त 'नञ्', 'उपपद', 'अलुक' और 'पुनरुक्त' समासों का भी उल्लेख होता रहा है । इनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है -

(क) नञ् समास : जिस समस्त पद का पूर्वपद निषेधात्मक हो, उसमें नञ् समास होता है । जैसे - अनादर, अनपच, अनागत, नाखुश, नाकामयाबी, असफलता, अन्याय आदि । इन समस्त पदों के प्रथम पद अन, ना और अ निषेधार्थक उपसर्ग हैं । इसलिए इनमें नञ् समास है ।

(ख) उपपद समास : समस्त पद का प्रथम पद संज्ञा या अव्यय हो और परपद ऐसा कृदंत हो जिसका स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं हो तो उसमें उपपद समास माना जाता है । विद्वानों ने इसे तत्पुरुष समास का ही भेद माना है । जैसे - अनुजा – बाद में जन्मी अर्थात छोटी बहन, कृतज्ञ = किए को मानने वाला, मधुप = मधु पीने वाला अर्थात भौंरा, ऋत्विक = यज्ञादि करने वाला, उरग = उर (छाती) से गमन करनेवाला अर्थात सर्प ।

(ग) अलुक : जिस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप न हो उसे अलुक समास कहते हैं । जैसे - युधिष्ठिर = युधि (युद्ध में) स्थिर, युद्ध की सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं हुआ है इसलिए

युधि का ही प्रयोग हुआ है । इसका संधि-विच्छेद होता है युधि + स्थिर = युधिष्ठिर । खेचर, वनेचर आदि इसके अन्य उदाहरण हैं ।

(घ) पुनरुक्त : जब एक ही पद दुहरा कर पूरा समस्त पद बने तो वहाँ पुनरुक्त समास कहा जाता है । जैसे – जब-जब, कहाँ-कहाँ, रोते-रोते, जाते-जाते, नया-नया, बैठे-बैठे आदि ।

कारक

क्रिया का निष्पादन करने और उसमें सहयोगी बनने वाले संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया के संबंध को कारक कहते हैं ।

संज्ञा और सर्वनाम विभिन्न भूमिकाओं में क्रिया संपन्न करते हैं । उनमें कोई क्रिया के लिए सीधे प्रयत्नशील होता है, कोई क्रिया संपादन में सहायक बनता है और किसी के लिए क्रिया होती है । क्रिया किसी को किसी से अलग करती है तो किसी से किसी का संबंध बताती है । क्रिया किसी स्थान पर (अंदर या बाहर) संपन्न होती है तो कहीं किसी को संबोधित करने की भी क्रिया होती है ।

संज्ञा या सर्वनाम के उपर्युक्त विभिन्न रूपों को कारक कहते हैं । देखिए -

1. बालक पीता है ।
2. बालक दूध पीता है ।
3. बालक चम्मच से दूध पीता है ।
4. माता बालक को दूध देती है ।
5. बालक के चम्मच से दूध गिर जाता है ।
6. किसान का बालक चम्मच से दूध पीता है ।
7. ऐ बालक ! तुम दूध पी लो ।

उपर्युक्त उदाहरणों में बालक, दूध, चम्मच, माता, किसान, घर ये छह संज्ञाएँ हैं और तुम सर्वनाम है ।

पीना, देना और गिरना क्रियाएँ हैं ।

उपर्युक्त संज्ञा-सर्वनामों से क्रिया का कैसा संबंध बन रहा है, उसके अनुसार ही उनकी कारकीय स्थिति का निर्धारण होगा । कारकीय स्थिति का तात्पर्य क्रिया से संबंध की स्थिति है । 'बालक पीता है' वाक्य में बालक पीने की क्रिया करता है, इसलिए वह कर्ता में कहा जाएगा । वस्तुतः बालक संज्ञा कर्ता कारक में है । यह कहना भ्रामक है कि बालक कर्ता कारक है । यानी संज्ञा बालक से पीना क्रिया का कर्ता कारक नामक संबंध है । यानी बालक का 'पीना' क्रिया से कर्ता कारकीय संबंध है ।

1. **संबंध-कर्ता-क्रिया** - पीने की क्रिया बालक करता है इसलिए क्रिया संपन्न करने वाला होने के कारण बालक कर्ता कहलाता है ।

2. **संबंध-कर्म-क्रिया** - बालक के पीने (क्रिया) का सीधा प्रभाव दूध पर पड़ता है इसलिए दूध को कर्म कहा जाएगा । क्रिया से उसका संबंध उसकी स्थिति को कर्मकारकीय बनाता है ।

3. **संबंध-करण-क्रिया** - चम्मच से क्रिया संपन्न होती है यानी वह निमित्त कारण बनता है । इसे साधन कहना अधिक उचित है । करण यानी साधन, उपकरण ।

4. संबंध-संप्रदान-क्रिया – देने की क्रिया करनेवाली माता देने की क्रिया बालक के लिए करती है। इसलिए बालक की स्थिति (को या के लिए के चलते) संप्रदान कारकीय होती है। इसमें माता कर्ता कारक में है, दूध कर्म कारक में है, बालक संप्रदान कारक में है।

- माता के साथ अव्यक्त शून्य विभक्ति उसे कर्ता बताती है।
- बालक के साथ 'को' या 'के लिए' विभक्ति संप्रदान कारक में बताती है।
- माता बालक के लिए दूध (को विभक्ति) देती है इसलिए दूध कर्मकारक में हुआ।

5. संबंध-अपादान-क्रिया – 'चम्मच से दूध गिरता है' में दूध गिरता है चम्मच से छूटकर। अलगाव वाचक का अपादान 'चम्मच' से हो रहा है इसलिए 'चम्मच' संज्ञा अपादान की कारकीय स्थिति में है।

आदान का अर्थ लेना होता है। और 'अप' उपसर्ग वैपरीत्य का बोधक है। इस तरह लेने के विपरीत देना या छोड़ना। यानी अपादान का अर्थ हुआ छुटना, विलगाव या अलगाव।

संप्रदान और अपादान में अर्थ यह है कि संप्रदान में जिसके लिए दान होता है, वह लक्ष्य होता है, उसमें संप्रदान की कारकीयता लगती है, उसकी विभक्ति लगती है।

अपादान में जिससे दान होता है वह अपादान की कारकीयता (विभक्ति) से प्रभावित होता है। चम्मच से दूध गिरने की क्रिया संपन्न होती है तो चम्मच अपादान कारक में है और 'से' विभक्ति उसका अंग है।

6. संबंध-संबंध-क्रिया – किसान का बेटा दूध पीता है।

इस वाक्य में बेटा कर्ता है, दूध कर्म और पीना क्रिया है तो फिर किसान क्या है और क्रिया से उसका क्या संबंध है ? यहाँ किसान (संज्ञा) का संबंध क्रिया संपादित करनेवाले 'बेटा' से बनता है और उस संबंध का 'किसान' पर प्रभाव पड़ता है। वह प्रभाव, संबंधवाचक, कारकीयता (विभक्ति) से युक्त हो 'किसान' संज्ञा का अंग बन जाता है। इस तरह यहाँ 'किसान' पद संबंधकारक में कहा जाएगा।

7. संबंध-संबोधन-क्रिया –

"हे तात हे मातुल जहाँ होंगे प्रणाम तुम्हें वहीं
अभिमन्यु का इस भाँति मरना भूल मत जाना कहीं।"

उपर्युक्त उदाहरणों में 'ए बालक तुम दूध पी लो', न भूल जाने या पीने की क्रिया के कर्ता तात, मातुल या बालक हैं परंतु उन्हें ही पुकारा या संबोधित भी किया जा रहा है। इस तरह तात, मातुल और बालक संबोधन की कारकीयता से प्रभावित हो उसकी विभक्ति से युक्त हो जाते हैं। यानी वे संबोधन कारक का उदाहरण बन जाते है।

संबोधन की विभक्ति पूर्ववर्तिनी होती है। अन्य कारकों की विभक्तियाँ परवर्तिनी होने के कारण परसर्ग या चरम प्रत्यय कहलाती है। संबोधन की विभक्तियाँ – हे, हो, अरे, ए, ऐ परसर्ग नहीं कही जा सकतीं।

आवश्यक नहीं कि एक वाक्य में सभी कारकों वाले कारकीय पद हों ही परंतु यह आवश्यक है कि किसी वाक्य में प्रयुक्त सभी संज्ञा और सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ कोई न कोई कारकीय संबंध होगा ही।

कारकों के भेद और उनके परसर्ग :

कारक के आठ भेद होते हैं :

	कारक	विभक्ति (परसर्ग)	प्रयोग
1.	कर्ता	शून्य (0), पे	बालक खाता है । बालक ने खाया ।
2.	कर्म	शून्य (0), को,	बालक आम खाता है । बालक माँ को देखता है ।
3.	करण	से	मैंने डंडे से साँप को मारा ।
4.	संप्रदान	को, के लिए	छात्रों को पुस्तकें दो । छात्रों के लिए कॉपियाँ दो ।
5.	अपादान	से	पेड़ से फल गिरा ।
6.	संबंध	का, के, की	राम का घोड़ा । आपके घोड़े उनकी कलम ।
7.	अधिकरण	में, पर	घर में बिल्ली घुसी । टेबुल पर पुस्तक है ।
8.	संबोधन	हे, हो, अरे, ए, ऐ, ओ	हे राम, रक्षा करो ! अहो, आप आ गए ! अरे, यह क्या किया ? ए लड़के ! ऐ लड़की ! ओ बालको !

1. **कर्ता कारक :** क्रिया निष्पन्न करने वाले को कर्ता कहा जाता है । **'बालक खाता है'** में खाने की क्रिया बालक निपष्न कर रहा है । इसलिए वह कर्ता कारक है । तात्पर्य यह कि बालक संज्ञा का क्रिया से जो संबंध है उसके अनुसार वह सीधे कर्ता की भूमिका में है ।

भूतकाल के सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्णभूत, संदिग्धभूत, संभाव्य भूत और हेतुहेतुमदभूत, इन छहों काल-भेदों में सकर्मक क्रिया के होने पर कर्ता के ने चिह्न का प्रयोग होता है । अपूर्ण भूत और वर्तमान तथा भविष्यत के सभी कालभेदों में शून्य परसर्ग का अनुक्त प्रयोग होता है । जैसे – राम खाता हैं, राम खाएगा ।

ने परसर्ग का प्रयोग : कर्ता के ने परसर्ग का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है –

(i) कर्ता के ने परसर्ग का प्रयोग भूत काल के सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, संभाव्य भूत तथा हेतुहेतुमदभूत में ही होता है । (अपूर्ण भूत में नहीं होता)

सामान्य भूतकाल	–	राम ने आम खाया ।
आसन्न भूत	–	राम ने आम खाया है ।
पूर्ण भूत	–	राम ने आम खाया था ।
संदिग्ध भूत	–	राम ने आम खाया होगा ।

संभाव्य भूत - राम ने आम खाया हो (अनुक्त 'संभव है ।') ।

हेतुहेतुमदभूत - राम ने आम खाया होता तो अवश्य बता देता ।

(ii) कर्ता के ने परसर्ग का प्रयोग सकर्मक क्रिया आदि के साथ ही होता है । सोना, जगना, जीना, मरना, आना, जाना आदि अकर्मक क्रियाओं में नहीं ।

(iii) अकर्मक क्रिया का प्रयोग सकर्मक के रूप में होने पर ने परसर्ग का प्रयोग होता है । जैसे - उसने बहुत बड़ी चाल चली थी । मैंने अनेक चढ़ाइयाँ चढ़ी है ।

(iv) प्रेरणार्थक रूप में अकर्मक क्रियाएँ सकर्मक बन जाती हैं इसलिए उनके साथ 'ने' चिह्न का प्रयोग होता है । जैसे - माँ ने बच्चे को सुलाया । शिष्य ने गुरुजी को जगाया या जगवाया ।

(v) अकर्मक होने के बावजूद छींकना, नहाना, थूकना, भूँकना क्रिया में 'ने' परसर्ग का प्रयोग किया जाता है । द्रष्टव्य - किसने छींका ? आपने नहाया ? किसने थूका है ? कुत्ते ने भूका था । विद्वानों ने इन प्रयोगों को सही बताया है परंतु प्रयोग में ये स्वाभाविक नहीं लगते हैं ।

(vi) संयुक्त क्रिया में यदि बाद वाली क्रिया सकर्मक हो तो पहली के अकर्मक होने पर भी ने का प्रयोग होता है । जैसे - उसने वहीं सो लिया था, बालक ने दो बजे ही जन्म लिया था । (संयुक्त क्रियाओं में बादवाली क्रिया अकर्मक हो तो 'ने' का प्रयोग नहीं होता)

(vii) कर्ता के ने परसर्ग का प्रयोग होने पर क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार हो जाते हैं। जैसे - राम ने रोटी खाई । राम ने आम खाया ।

(viii) यदि कर्म के साथ उसके परसर्ग 'को' का भी प्रयोग हुआ हो तो ने चिह्न से युक्त वाक्य में क्रिया अनिवार्यत: एकवचन पुल्लिंग में ही होती है । जैसे - मैंने लड़के को देखा था । मैंने लड़की को देखा था । मैंने लड़कों और लड़कियों को देखा था ।

2. **कर्मकारक :** कर्म उसे कहा जाता है जिस पर क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ता है । जैसे - बालक आम खाता है । बालिका दूध पीती है ।

उपर्युक्त दोनों वाक्यों में आम और दूध कर्म हैं क्योंकि खाना और पीना क्रिया का सीधा प्रभाव इन दोनों पर ही पड़ रहा है ।

कर्मकारक के परसर्ग 'को' और 'शून्य' हैं ।

उपर्युक्त वाक्यों में शून्य विभक्ति का प्रयोग हुआ है परंतु यदि कहा जाए कि 'शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं' या 'वृद्धा ने आम को फेंक दिया' तो इनमें 'को' परसर्ग का प्रयोग दृष्टिगत होता है । वस्तुत: शून्य परसर्ग में अनुक्त 'को' की ही स्थिति होती है ।

द्विकमर्क क्रियाओं में 'को' का प्रयोग होता है । 'मोहन ने रमेश को पत्र भेजा था' में भेजना क्रिया द्विकर्मक है क्योंकि इसमें रमेश तथा पत्र दोनों भेजना क्रिया से प्रभावित कर्म हैं । इसमें प्रधान कर्म पत्र है तथा गौण रमेश है । ऐसे द्विकर्मक में गौण कर्म के साथ 'को' का प्रयोग होता है ।

3. **करण कारक :** जिस साधन के सहारे क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं । करण कारक का परसर्ग 'से' है । जैसे - राजा रथ से चलता है । महमूद चम्मच से खाता है । यहाँ 'से' का अर्थ युक्तता से है । यह युक्तता अनेक तरह की होती है । कुछ अन्य उदाहरण -

दुलारचंद अपने हाथों से क़ाम करता है । पढ़ने से फायदा ही होता है । वह पैर से लंगड़ा है । वह गरीब से धनी हो गया ।

4. **संप्रदान कारक** : क्रिया जिसके लिए निष्पन्न हो उसे संप्रदान कारक कहते हैं । इसके तीन परसर्ग हैं । **शून्य**, को तथा के लिए । यह 'को' कर्म के 'को' से भिन्न 'के लिए' के ही अर्थ वाला होता है। जैसे - राम को मिठाई दे दो । मोहन के लिए भोजन दे दो । वह चलने को आतुर है । गाड़ी आने ही को थी । आदि ।

5. **अपादान कारक** : विलगाव बोधक क्रिया सूचित करने वाले को अपादान कारक कहते हैं । पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि अपादान (अप + आदान) का अर्थ विलगाव होता है । जैसे –

पेड़ से पत्ता गिरा । मैके से लड़की ससुराल गई । छत से पानी टपका । पेड़ से सेब जमीन पर गिरा । वह कल से इंतजार कर रहा है । मोहन से राम तेज है । (तुलनाबोधक 'से' अपादान का होता है) अपादान विमुक्तता, भिन्नता, तुलना आदि का अर्थ देने वाले 'से' परसर्ग वाला होता है ।

6. **संबंध कारक** : क्रिया संपादित करने वाले या क्रिया से प्रभावित (कर्ता या कर्म) संज्ञा-सर्वनाम के साथ संबंध सूचित करने वाले कारक को संबंध कारक कहा जाता है ।

संबंध कारक के परसर्ग हैं **का, के, की** । 'का' एकवचन पुल्लिंग का बोधक होता है, 'के' बहुवचन पुल्लिंग का बोध कराता है और 'की' का प्रयोग स्त्रीलिंग एकवचन तथा बहुवचन दोनों में होता है । जैसे – मोहन का भाई गुड्डू आया है । (एकवचन पुल्लिंग)

मोहन के मित्र आए हैं । (बहुवचन पुल्लिंग)

रामानंद की बहन मालती पढ़ती है । (एकवचन स्त्रीलिंग)

रामानंद की पाँचों बहनें पढ़ने में तेज हैं । (बहुवचन स्त्रीलिंग)

मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे आदि सार्वनामिक संदर्भों में का, के, की परसर्ग रा, रे, री के रूप में परिवर्तित रूप धारण कर लेते हैं ।

संबंधकारक के ये परसर्ग संबंध, स्वामित्व, प्रयोजन, मात्रा, गिनती, वजन, विशेषता आदि बताने में संबंध-सूत्र का काम करते हैं । उपर्युक्त उदाहरणों के अलावा आप देख सकते हैं –

गाड़ी का मालिक, जिले का एस० पी०, सोचने का कारण, पढ़ने का उद्देश्य, भोजन की मात्रा, गेहूँ का वजन, खंभों की संख्या, सोने की चमक, लहसुन के गुण, सेब के फायदे आदि में संबंध के परसर्ग का, के, की के विविध प्रयोगों को देखा जा सकता है ।

कहीं-कहीं **का, के, की, के लिए वाला, वाले वाली** का प्रयोग भी होता है । जैसे - बाबावाली छड़ी, सोनेवाली घड़ी, कॉलेजवाली लड़कियाँ, गाँववाले लोग, अरबवाले घोड़े ।

संबंध कारक के इन परसर्गों के बदले इय, इ, ईण आदि कुछ प्रत्ययों का प्रयोग होता है । जैसे - राजा का आदेश – राजकीय आदेश, सरकार का काम–सरकारी काम, अरब का घोड़ा– अरबी घोड़ा, ग्राम की नारियाँ–ग्रामीण नारियाँ ।

7. **अधिकरण कारक** : क्रिया का आधार (स्थान, वस्तु आदि) बताने वाले कारक को अधिकरण कारक कहा जाता है । 'अधिकरण' शब्द का अर्थ ही होता है आधार, आश्रय या अधिष्ठान । अधिकरण कारक की विभक्तियाँ हैं - **में, पर** । पेड़ पर बंदर बैठा है । घर में औरत गा रही है ।

8. **संबोधन कारक :** किसी को संबोधन, बुलावा या सावधानी का बोध कराने वाले कारक को संबोधन कारक कहा जाता है । **हे**, **अरे**, **अहो**, **ए**, **ऐ** संबोधन कारक की विभक्तियाँ हैं । जैसे - हे राम, मुझपर कब कृपा करोगे ? अहो, आप आ गए ? भाइयो-बहनो ! मेरी बातों पर ध्यान दो ।

संबोधन कारक में विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें बहुवचन वाले कर्मों में भी अनुस्वार नहीं लगता है । जैसे – बालको, शांत बैठो ! मित्रो, अब मैं जाना चाहता हूँ !

संबोधन कारक की विभक्तियों को परसर्ग नहीं कहा जा सकता ; क्योंकि वे पूर्ववर्तिनी होती है । हे माता, ऐ लड़के, ऐ लड़की !

संबोधन कारक में अनुक्त यानी **शून्य विभक्ति** भी चलती है ; जैसे - माताओ, मित्रो, बहनो आदि ।

कारकों के चलते संज्ञा-सर्वनाम क्रिया आदि पदों के रूपों में अनेक परिवर्तन होते हैं । पूर्वोक्त उदाहरण आप देख सकते हैं ।

'से' करण और अपादान की विभक्ति है और 'को' कर्म तथा संप्रदान की, लेकिन कभी-कभी ये विभक्तियाँ प्रयोगानुसार कर्ता कारक की भी हो जाती हैं । जैसे राम से चला नहीं जाता । माँ को कार चलानी पड़ी ।

पुरुष

संज्ञा के संदर्भ में पुरुष का अनिवार्य महत्त्व होता है । संपूर्ण संज्ञाओं और सर्वनामों को तीन पुरुषों में वर्गीकृत किया गया है । ये तीन पुरुष हैं -

(क) उत्तम पुरुष – मैं, हम, हमलोग
(ख) मध्यम पुरुष – तू, तू सब, तुम, तुम लोग
(ग) अन्य पुरुष – अन्य सारी संज्ञाएँ और सर्वनाम

भाषा में एक वक्ता होता है और एक श्रोता या लेखक और पाठक । इन दोनों के अलावा बाकी संपूर्ण जगत की संज्ञाएँ बच जाती हैं । तात्पर्य यह कि मैं, तुम और अन्य - ये ही तीन पुरुष हैं । मैं उत्तम है, तुम मध्यम और बाकी सब अन्य ।

	एकवचन	**बहुवचन**
उत्तम पुरुष	मैं, हम	हम, हमलोग
मध्यम पुरुष	तू, तुम, आप	तू सब, तुमलोग, आप लोग
अन्य पुरुष	राम, मोहन, यह, वह लड़का, लड़की आदि	लड़के लड़कियाँ, ये, वे, ये लोग, ये सब, वे लोग आदि ।

उत्तम पुरुष तथा मध्यम पुरुष में केवल सर्वनाम होते हैं; अन्य पुरुष में सर्वनामों के अलावा अन्य सारी संज्ञाएँ भी आ जाती हैं ।

राम पढ़ता है । वह गाता है ।

उपर्युक्त वाक्यों में राम अन्य पुरुष, एकवचन, पुल्लिंग संज्ञा है जबकि दूसरे वाक्य में वह अन्य पुरुष, एकवचन पुल्लिंग सर्वनाम है । **प्रयोग :**

उत्तम पुरुष, एकवचन - मैं पढ़ता हूँ
बहुवचन - हमलोग पढ़ते हैं ।

मध्यम पुरुष एकवचन	–	तू पढ़ता है ।
		तुम पढ़ते हो ।
		आप पढ़ते हैं । (आदरसूचक)
बहुवचन	–	तू सब पढ़ता है ।
		तुम लोग पढ़ते हो ।
		आप लोग पढ़ते हैं ।
अन्य पुरुष एकवचन	–	राम पढ़ता है, लड़का पढ़ता है, वह गाता है ।
		यह बोलता है, वे गाते हैं (आदरसूचक) । ये गाते हैं ।
बहुवचन	–	लड़के पढ़ते हैं ।
	–	वे गाते हैं ।
	–	ये बोलते हैं ।
	–	ये लोग बोलते हैं ।

पुरुष प्रकरण व्याकरण में एकमात्र ऐसा अध्याय होता है जिसमें संज्ञा नहीं सर्वनाम प्रमुख होते हैं ।

काल

क्रिया के रूप से ज्ञात होने वाले समय खंड को व्याकरण में काल कहा जाता है । सर्वज्ञात है कि काल का शाब्दिक अर्थ समय होता है । व्याकरण में क्रिया के विविध रूपों से काल खंड विशेष का पता चलता है ।

इसके विविध खंडों के अनुसार क्रिया के अलग-अलग रूप बनते हैं । काल का संबंध क्रिया से होता है । क्रिया के रूपों से पता चलता है कि कालखंड बीत चुका है या बीत रहा है या आगे आने वाला है ।

अभिव्यक्ति को पूर्णता देने या सटीक बनाने के लिए सावधान व्यक्ति ध्यान रखना चाहता है कि वह जो बोल रहा है उसका पूरा तथा सही संदर्भ ध्वनित हो जाए । यदि कोई पढ़ने की क्रिया के विषय में जानकारी दे रहा है तो उसे स्पष्ट करना होता है कि वह पढ़ रहा था; पढ़ रहा है या पढ़ेगा । यानी क्रिया हो चुकी है, हो रही है या होने वाली है । कुछ वाक्य देखें – मोहन पढ़ रहा था । मोहन पढ़ता था । मोहन पढ़ चुका था । मोहन पढ़ा करता था । मोहन पढ़ता रहता था । मोहन ने पढ़ा था । मोहन पढ़ता तो पास कर जाता ।

ये सारे वाक्य भूतकाल में हैं क्योंकि इनकी क्रियाओं से उनके हो चुकने का बोध होता है । ध्यान देने की बात है कि इन वाक्यों से भूतकाल की अनेक अवस्थाओं का बोध होता है । उन विभिन्न अवस्थाओं का बोध कराने के लिए क्रियाएँ विभिन्न रूप धारण करती हैं ।
उपर्युक्त भूतकालिक वाक्यों से सूचित अवस्थाओं की तरह ही वर्तमान काल और भविष्यत्काल की भी विभिन्न अवस्थाएँ होती हैं और उन्हें सूचित करने वाले अनेक क्रिया रूप होते हैं ।

काल

- वर्तमान काल
  - सामान्य वर्तमान
  - पूर्ण वर्तमान
  - अपूर्ण वर्तमान
  - पूर्ण सातत्य वर्तमान
  - संदिग्ध वर्तमान
  - संभाव्य वर्तमान
  - आज्ञार्थक वर्तमान
- भूतकाल
  - सामान्य भूत
  - पूर्ण भूत
  - अपूर्ण भूत
  - पूर्ण सातत्य भूत
  - संदिग्ध भूत
  - संभाव्य भूत
  - हेतुहेतुमद् भूत
  - आसन्न भूत
- भविष्यत् काल
  - सामान्य भविष्यत्
  - पूर्ण भविष्यत्
  - अपूर्ण भविष्यत्
  - पूर्ण सातत्यबोधक भविष्यत्
  - संभाव्य भविष्यत्
  - आज्ञार्थक भविष्यत्

वर्तमान काल

1. सामान्य वर्तमान : लड़का नौकरी करता है । लड़के पढ़ते हैं । लड़की आती है ।
2. पूर्ण वर्तमान : मोहन ने लिखा है । कन्हैया ने रखा है ।
3. अपूर्ण वर्तमान : कमला पढ़ रही है । मंदाकिनी नाच रही है ।
4. पूर्ण सातत्य वर्तमान : रमेश पढ़ता रहा है । वह साधु यहाँ आता रहा है ।
5. संदिग्ध वर्तमान : शायद वह आता होगा । शायद वह गा रहा होगा ।
6. संभाव्य वर्तमान : संभव है कि वह आ रहा हो । संभवत: वे पूरा कर रहे होंगे ।
7. आज्ञार्थक वर्तमान : पढ़ो, पढ़ते रहो । वे पढ़ते रहें । पढ़ने दो ।

ता, ते, ती, रहा, रहे, रही, है, हैं, हूँ, हो, दो आदि वर्तमान काल की क्रिया की पहचान है।

भूतकाल

1. सामान्य भूतकाल : मैं पढ़ता था । वह रोज आता था । तुम कहा करते थे ।
2. पूर्ण भूतकाल : अर्जुन ने मारा था । सरोज ने देखा था । सर ने पढ़ाया था ।
3. अपूर्ण भूतकाल : राकेश खेल रहा था । दादाजी दूध पी रहे थे ।
4. पूर्ण सातत्य बोधक भूतकाल : वे गाते रहे थे । मोहन सुनता रहा था । लड़की बोलती रही थी।
5. संदिग्ध भूतकाल : बिल्ली ने दूध गिराया होगा । तुमने पुस्तक फाड़ी होगी ।
6. संभाव्य भूतकाल : संभव है उस दिन वह वहीं छिपा रहा हो । उस दिन ही वह चल दिया हो।
7. हेतुहेतुमद्भूत काल : राम आ जाता तो मोहन नहीं रुकता । मैं नहीं रोकता तो वह चला जाता।
8. आसन्न भूत : राम ने पुस्तक पढ़ ली है । मैंने पुस्तक रख दी है ।

भविष्यत् काल

1. सामान्य भविष्यत् काल : आप चलेंगे । मैं पढ़ूँगा । वह कार खरीदेगा ।
2. पूर्ण भविष्यत् काल : वे जा चुके रहेंगे । मोहन पहुँच गया रहेगा ।
3. अपूर्ण भविष्यत् काल : अगले हफ्ते तो मोहन परीक्षा दे रहा होगा ।
4. पूर्ण सातत्यबोधक भविष्यत् काल : वह दस दिनों तक पढ़ता रहेगा ।
5. संभाव्य भविष्यत् काल : संभवतः सोमवार को रमेश पटना जाएगा ।
6. आज्ञार्थक भविष्यत् काल : परसों दिल्ली जाओ । पुस्तकें खरीद लाओ ।

वाच्य

क्रिया के जिस रूपांतर से पता चले कि उसके लिंग, वचन या विधान में कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं ।

तात्पर्य यह कि वाक्य में यदि कर्ता की प्रधानता है तो वह प्रधानता क्रिया के रूप विधान से वाचित हो जाती है । इस तरह वहाँ वाच्य कर्ता होता है । वाक्य में यदि कर्म की प्रधानता हो तो क्रिया के लिंग-वचन से उसका भी पता चल जाता है यानी वहाँ वाच्य कर्म होता है । क्रिया उसी की प्रधानता बताती है ।

ऐसा भी होता है कि क्रिया का रूप विधान (लिंग-वचन) कर्ता या कर्म दोनों को छोड़ भाव की प्रधानता वाचित करने लगे । वहाँ वाच्य भाव हो जाता है ।

इस तरह वाच्य के तीन भेद हो जाते हैं –

(क) कर्तृवाच्य (ख) कर्मवाच्य (ग) भाववाच्य

कुछ उदाहरण देखिए – मैं आपको बुलाऊँगा । आप (मेरे द्वारा) बुलाए जाएँगे । आपको (मेरे द्वारा) बुलाया जाएगा । सामान्य कथन में कर्तृवाच्य का ही प्रयोग होता है परंतु कथ्य में आदर, बल, आदेशात्मकता आदि विशेषताएँ लाने के लिए वक्ता कर्मवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग करता है ।

(क) कर्तृवाच्य : जिस वाक्य में क्रिया के लिंग-वचन का विधान कर्ता के अनुरूप हो उसे कर्ता प्रधान कहा जाता है और उसकी प्रधानता क्रिया ही अपने रूप विधान से प्रकट-वाचित कर देती है । उसके लिए वाच्य प्रकट करने योग्य कर्ता की प्रधानता होती है । अपने लिंग और वचन से वह प्रकट कर देती है कि वह कर्ता की अनुगामिनी है । ऐसी क्रिया कर्तृवाच्य की (यानी कर्तृवाच्य क्रिया) कही जाती है ।

उपर्युक्त वाक्य 'मैं आपको बुलाऊँगा' में 'मैं' कर्ता है । वह उत्तम पुरुष, एकवचन, पुल्लिंग है । उसके अनुसार ही क्रिया एकवचन, उत्तम पुरुष, पुल्लिंग में है । इस वाक्य में मैं का प्रयोग नहीं होता केवल 'आपको बुलाऊँगा' होता तो भी 'बुलाऊँगा' से स्पष्ट हो जाता कि क्रिया कर्तृवाच्य में है और उसका कर्ता उत्तम पुरुष, एकवचन पुल्लिंग में है । जाहिर है कि कर्तृवाच्य की क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है ।

(ख) कर्मवाच्य : क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष का विधान यदि कर्म के अनुसार हो तो वहाँ कर्मवाच्य होता है । जैसे : 'मेरे द्वारा आप बुलाए जाएँगे' ।

इस वाक्य में 'मैं' कर्ता है परंतु 'बुलाए जाएँगे' क्रिया (संयुक्त क्रिया) का पुरुष, लिंग, वचन उसके अनुसार नहीं बना है । 'बुलाए जाएँगे' मध्यम पुरुष, एकवचन, पुल्लिंग के रूप में है और इस वाक्य में कर्म 'आप' मध्यम पुरुष, एकवचन, पुल्लिंग में है । यानी क्रिया कर्म की अनुकूलता वाचित कर रही है । अतः यह कर्मवाच्य का उदाहरण कहा जाएगा ।

कर्मवाच्य के विशेष प्रयोग कार्यालयों के औपचारिक पत्राचारादि में होता है । जैसे - आपको सूचित किया जाता है, आदेश दिया जाता है, सूचना भेज दी जाएगी, ध्यान आकर्षित किया जाएगा, वेतन वृद्धि की जाती है आदि । स्पष्ट है कि कर्मवाच्य में प्राय: संयुक्त क्रिया का प्रयोग होता है ।

कर्मवाच्य की मुख्य क्रिया सदा भूतकालिक कृदंतीय (खाया, पीया, पढ़ा, पढ़े) में रहती है ।

कर्मवाच्य में गौण क्रिया 'जाना' के विभिन्न रूपों का प्रयोग कर्म के वचन, लिंग, पुरुष आदि के अनुसार होता है ।

प्रयोग के कुछ विविध उदाहरण -

सामान्य : छात्र पढ़ाए जाते हैं । पुस्तकें पढ़ी जाती हैं । गायें चरायी जाती हैं । घोड़े दौड़ाए जाते हैं ।

आदेशमूलक : आदेश दिया जाता है । सावधान किया जाता है । चेतावनी दी जाती है ।

असमर्थता : मुझसे ऑपरेशन नहीं देखा जाता । उसका दुख मुझसे वर्णन नहीं किया जाता ।

परंपरा या प्रवृत्तिमूलक : सुना जाता है । प्राय: देखा जाता है कि वहाँ दिन में ही चोरियाँ होती हैं (यानी 'दिन में चोरियाँ होना' (कर्म) देखा जाता है) ।

कर्मवाच्य में क्रिया अनिवार्यत: सकर्मक होती है । 'खाया जाएगा' या 'चला नहीं जाता' जैसे वाक्य कर्मवाच्य के उदाहरण हैं जिनमें क्रिया का भावे प्रयोग (भाव के रूप में) है । इसमें भाव वाच्य नहीं है ।

क्रिया के प्रयोग

जान लेना चाहिए कि क्रिया के प्रयोग के भी तीन रूप होते हैं -

कर्तरि प्रयोग - कर्ता की तरह

कर्मणि प्रयोग - कर्म की तरह

भावे प्रयोग - भाव की तरह

कर्तृवाच्य में कर्तरि प्रयोग से कोई समस्या पैदा नहीं होती, परंतु जब 'ने' चिह्न का प्रयोग होता है तो वह कथन कर्तृवाच्य में ही रहता है परंतु उसमें क्रिया का कर्मणि प्रयोग हो जाता है, जिससे भ्रम पैदा होता है कि 'राम ने पुस्तक पढ़ी' में कर्मवाच्य है । इसमें निर्विवाद कर्तृवाच्य है ।

इसी तरह कर्मवाच्य में 'ये फल खाए जाएँगे' या 'उससे खाया नहीं जाता' में क्रिया का भावे प्रयोग (भाव वाच्य की तरह प्रयोग) देखकर लोग भाववाच्य के भ्रम में पड़ जाते हैं । वहाँ वस्तुत: कर्मवाच्य ही होता है ।

भाववाच्य : जहाँ क्रिया का रूपविधान कर्ता या कर्म के अनुरूप न होकर स्वयं क्रिया के ही भाव के अनुरूप हो जाता है वहाँ भाववाच्य होता है । जैसे - उनसे चला नहीं जा रहा था । अब बढ़ा नहीं जा रहा है । हमसे नहीं चढ़ा जाएगा ।

भाववाच्य की क्रिया अनिवार्यत: अकर्मक होती है । भाववाच्य के स्वाभाविक प्रयोग असमर्थतासूचक अवस्था में ही होते हैं ।

वचन

संज्ञा के एक या अनेक होने का बोध कराने वाले रूप को वचन कहते हैं । वचन शब्द वाचक का परिवर्तित रूप है । वाचक की तरह वचन का भी अर्थ होता है बोध कराने वाला ।

हिंदी में दो वचन होते हैं – (क) एकवचन (ख) बहुवचन । एकवचन यानी एक का बोध कराने वाला । बहुवचन यानी अनेक या बहुत का बोध करानेवाला ।

वचन का प्रभाव संज्ञा के अलावा सर्वनाम, विशेषण, कर्म और क्रिया पर भी पड़ता है ।

एकवचन संज्ञा	–	लड़का सं० पढ़ता क्रि० है (सहायक क्रिया) ।
बहुवचन संज्ञा	–	लड़के सं० पढ़ते क्रि० हैं (सहायक क्रिया) ।
एकवचन सर्वनाम	–	मैं (सर्व०) पढ़ता (क्रिया) हूँ (सहायक क्रिया) ।
बहुवचन सर्वनाम	–	हम (सर्व०) पढ़ते (क्रिया) हैं (सहायक क्रिया) ।
कर्म पर प्रभाव	–	मोहन (संज्ञा) गाय (कर्म) दुहता है (क्रिया) है (स०क्रि०) ।
	–	मोहन (संज्ञा) गायें (कर्म) दुहता (क्रिया) है (स०क्रि०) ।
	–	मोहन (संज्ञा) गायों को (कर्म) दुहता (क्रिया) है (स०क्रि०) ।
विशेषण पर प्रभाव	–	मोहन (संज्ञा) ने तीन गायें (कर्म) दुहीं (क्रि०) ।
	–	मोटा आदमी आलसी होता है ।
	–	मोटे आदमी आलसी होते हैं ।

निश्चय ही वचन का प्रभाव संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कर्म, क्रिया, सहायक क्रिया आदि सब पर पड़ता है ।

कुछ नियम

1. एकवचन कर्ता की स्थिति में संज्ञा अपने मूल रूप में ही रहती है, परंतु 'ने' विभक्ति' का प्रयोग हो जाने पर कुछ संज्ञा पदों के रूप में परिवर्तन आ जाता है । जैसे - लड़के (एकवचन, कर्ता) ने खाया था। अन्य अवस्थाओं में वे अपरिवर्तित यानी मूल रूप में होते हैं - पुस्तक, राम, लड़का, घोड़ा, चढ़ाई, खाई, मेला, सोना, पेड़, देवता आदि ।

2. संज्ञा पद का तात्पर्य केवल जातिवाचक और व्यक्तिवाचक ही नहीं भाववाचक भी है जो वचन से प्रभावित होता है । जैसे - खाइयाँ, चढ़ाइयाँ, विशेषताएँ, ऊँचाइयाँ, मूर्खताएँ, आवश्यकताएँ, अनुभूतियाँ।

3. वचन के प्रभाव से परिवर्तित पुल्लिंग संज्ञा-रूपों से स्त्रीलिंग संज्ञाओं के रूप भिन्न होते हैं । लड़का एकवचन का बहुवचन रूप **लड़के** होता है परंतु लड़की का बहुवचन **लड़कियाँ** होता है ।

4. अकारांत पुल्लिंग संज्ञा के रूप पर वचन का प्रभाव बहुवचन में भी नहीं पड़ता परंतु अकारांत स्त्रीलिंग पर पड़ता है । जैसे -

फूल खिल रहा है – फूल खिल रहे हैं ।
गाय चर रही है – गायें चर रही हैं ।

5. द्रव्यवाचक जातिबोधक संज्ञाओं के बहुवचन में रूप-परिवर्तन होता है परंतु वहाँ भी उपर्युक्त अकारांत वाला लक्षण काम करता है । जैसे - यहाँ सभी प्रकार के तेल मिलते हैं । सभी प्रकार की दालें महँगी हो गई हैं ।

6. होश, प्राण, ओठ, दर्शन, भाग्य, लोग, समाचार, हस्ताक्षर और आँसू हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे - होश उड़ गए । प्राण सूख गए । दर्शन हो गए । भाग्य खुल गए । लोग भाग गए। समाचार मिले । आपके हस्ताक्षर चाहिए । आँसू सूख गए ।

'लोग भाग गए' इस वाक्य में 'लोग' अनेक व्यक्तियों का बोधक है । उसमें अनेक लोग होते हैं परंतु उन सबके मिलने से उनलोगों का कोई नया स्वरूप नहीं बनता इसलिए यह संज्ञा बहुवचन होती है । मेला, समूह, भीड़, टोली आदि इनसे भिन्न हैं और उनके वचन-रूपांतर होते हैं । जैसे - वहाँ मेला लगा है । यह किनकी टोली है । वहाँ कैसी भीड़ है । यह कैसा समूह है ।

7. समाचार, ओठ और हस्ताक्षर के पूर्व कोई विशेषण लगाकर इनका एकवचन रूप बनाया जा सकता है । जैसे - यह तो कल का प्रमुख समाचार था । एक ओठ कट गया था । आपका एक ही हस्ताक्षर था जबकि चाहिए थे तीन ।

कर्ताकारक में वचन के चलते उपर्युक्त संज्ञाओं समाचार, ओठ और हस्ताक्षर का रूप नहीं बदलता।

8. सर्वनामों पर वचन का प्रभाव उनके रूप को परिवर्तित भी करता है और उनके लिए अलग शब्दों का विधान भी है ।

एकवचन	**बहुवचन**
मैं	हम (हम लोग)
आप	आपलोग, आपसब
तुम	तुमलोग
तू	तू सब
यह	ये (ये लोग)
वह	वे (वे लोग)
इस	इन (इन सब, इन लोगों)
उस	उन्हीं, उन लोगों, उन सबों

विशेष संदर्भ में हम, आप, इन, उन, ये और वे का प्रयोग एकवचन में भी होता है ।

हम प्रतिनिधित्व के भाव से एकवचन उत्तम पुरुष में हम का प्रयोग होता है । जैसे - हमारा देश संसार का सिरमौर है ।

आप, ये, वे, इन, उन सर्वनामों का प्रयोग आदरसूचक भाव में होता है ।

9. कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ किसी गुण या दोष विशेष के लिए प्रसिद्ध हो गई हैं । उनका जातिवाचक की तरह प्रयोग करने पर बहुवचन में उनके अनेक रूपांतर होते हैं । जैसे - आज रावणों की संख्या बढ़ती जा रही है । हरिश्चंद्रों को हर युग में कष्ट भोगना पड़ता है ।

10. संज्ञा के लिंग और वचन के अनुरूप ही अधिकांश विशेषणों के भी लिंग और वचनों का रूप बनता है । जैसे - नई दुनिया, नए लोग, बड़े नेता, छोटे विचार आदि ।

11. स्त्रीलिंग संज्ञापदों में एँ, इयाँ, यें, याँ, एँ आदि प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनाते हैं । जैसे - बात-बातें, पुस्तक-पुस्तकें, लड़की-लड़कियाँ, समस्या-समस्याएँ, गाय-गायें, सूई-सूइयाँ, अप्सरा-अप्सराएँ आदि ।

11. इकारांत तथा उकारांत संज्ञाओं का बहुवचन होने पर अंत में याँ या एँ हो जाता है और अंत्यवर्ण के पूर्व के दीर्घ का ह्रस्व उ हो जाता है । जैसे - वधू-वधुएँ, नदी-नदियाँ आदि ।

◆ ◆ ◆